भारतीय वैश्विक परिषद

# जी-20

## @2023

# भारत की अध्यक्षता

## दो आलेख

आलोक शील

मंजीव सिंह पुरी

एवं दामोदर पुजारी

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस, नई दिल्ली

2022

© आईसीडब्ल्यूए 2022

**अस्वीकरण :** इन पत्रों में शामिल विचार, विश्लेषण और अनुशंसाएं लेखकों द्वारा व्यक्त की गई हैं।

# विषय-वस्तु

प्रस्तावना ..... 3

जी-20 का उद्भव और भारत की आगामी अध्यक्षता
*आलोक शील*..... 5

जी-20 और जलवायु परिवर्तन
वैश्विक सहयोग के लिए लिए शक्ति का नेतृत्व
*मंजीव सिंह पुरी एवं दामोदर पुजारी*.....37

योगदानकर्ताओं का परिचय..... 5।

G20
ARGENTINA
NEW ZEALAND
BRAZIL
CANADA
CHINA
FRANCE
GERMANY
INDIA
INDONESIA
ITALY
JAPAN
MEXICO
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SOUTH AFRICA
SOUTH KOREA
TURKEY
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
EUROPEAN UNION

# प्रस्तावना

भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता करेगा और 9-10 सितंबर 2023 को 18वें जी-20 शिखर-सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह अध्यक्षता भारत के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने और एक ऐसे समय में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रयास करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है जब संपूर्ण विश्व निरंतर विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे ऋण संकट, बढ़ती मंदी, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में एजेंडा का धीमा होना, यूरोप में संघर्ष और गहन होती व्यापक शक्ति प्रतिस्पर्धा। इस प्रकाशन में दो आलेख शामिल हैं जिनका आशय जी20, इसके कार्यकरण, उद्देश्यों और प्रभाव के बारे में समझ में वृद्धि करना और भारत की जी-20 के लिए

प्राथमिकताओं हेतु चल रहे विचार-विमर्श में योगदान देना है। डॉ. आलोक शील ने भारत की आगामी अध्यक्षता के आलोक में जी-20 के उद्भव का विवेचन किया है तथा जी-20 का एक ऐसे वैश्विक शासन समूह के रूप में वर्णन किया है जिसने उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटने के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया है। उन्होंने जी-7 और जी-20 के मध्य संबंधों का अन्वेषण किया है तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि जी-20 ने वैश्विक आर्थिक मुद्दों का संचालन करने के लिए प्रत्यक्षत: जी7 को प्रतिस्थापित किया है। यह तथ्य कि लगातार जी-20 के निरंतर रहे तीन अध्यक्ष अर्थात, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील विकासशील देश हैं, जी-20 के भीतर वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। उन्होंने भारत की अध्यक्षता के दौरान जी-20 के समक्ष चर्चा के प्रमुख विषयों के रूप में बहुपक्षीय आर्थिक शासन, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और निवेश को मजबूत करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा को भी सूचीबद्ध किया है।

राजदूत मंजीव सिंह पुरी औरदामोदर पुजारी ने जी-20 के भीतर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की प्रगति का अध्ययन किया है और पता लगाया है कि कैसे जी-20 के सदस्य देशों ने समूह के भीतर अनुकूलन, उपशमन, वित्त और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना किया है। उनका कहना है कि 2021 में इटली की अध्यक्षता ने जलवायु परिवर्तन पर सर्वाधिक मौलिक उद्घोषणा की, जिसका

आगामी अध्यक्षताओं के दौरान इस विषय पर होने वाली चर्चा पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने में भारत का नेतृत्व यूएनएफसीसीसी में और हाल के वर्षों में जी-20 में भी बहुत स्पष्ट रहा है।

जी-20 के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों और साथ ही दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए इस प्रभावशाली मंच का उपयोग करना जारी रखा है। सऊदी अध्यक्षताके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मानव केंद्रित वैश्वीकरण' के बारे में जी-20 में अपनी बात रखी थी। जबकि आज भारत अपने अध्यक्षता के लिए एजेंडा तय कर रहा है, यह प्रकाशन वैश्विक आर्थिक शासन और भारत की बहुपक्षीय कूटनीति में रुझानों में रुचि रखने वाले विद्वानों और वृत्तिकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

**राजदूत विजय ठाकुर सिंह**

*महानिदेशक*

भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

अक्तूबर 2022

# जी-20 का उद्भव और भारत की आगामी अध्यक्षता

आलोक शील

1

## परिचयात्मक टिप्पणियां

18वां जी-20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। यह हर दृष्टि से भारत में आयोजित किया जाने वाला सर्वाधिक उच्चस्तरीय शिखरसम्मेलन है। इसमें समस्त महत्वपूर्ण देशों, जिसमें जी7 और ब्रिक्स के पूर्ण पूरक भी शामिल हैं, के शीर्षस्थ नेताओं के भाग लेने की संभावना है। यह भारत के लिए एक ऐसा शीर्षस्थ स्थान होगा, जब वह किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय शिखरसम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा होगा जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, रूस के नेताओं की प्रतिभागिता तो होगी, साथ ही साथ आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख बहुपक्षीय निकायों के प्रमुख भी शामिल होंगे। यह आशा की जाती है कि नेतागण "नई दिल्ली कार्य योजना" सहित नई दिल्ली घोषणा के रूप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करेंगे।

जी-20 वास्तव में क्या है? यह कैसे और क्यों अस्तित्व में आया? यह कैसे काम करता है? जी7 की ही भांति जी-20 शिखरसम्मेलनों का इतना प्रचार क्यों है, और इन दो अत्यंत प्रतिष्ठा वाले समूहों के बीच क्या संबंध है? जी-20 के कार्यकरण में अब तक भारत का अपना योगदान क्या रहा है? जी-20 शिखरसम्मेलन की मेजबानी का क्या अर्थ है? किसी शिखरसम्मेलन का आयोजन सफल कैसे बनता है? ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो भारतीय अध्यक्षता और नई दिल्ली घोषणा पर हावी हो सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर इस पत्र में चर्चा करने का प्रयास किया गया है।

2

## जी-20 और वैश्विक शासन

जी-20 मोटे तौर पर जी-7 की संरचना पर ही आधारित है, और यह इसी की भांति एक अनौपचारिक, स्वघोषित पार-राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें अपनी बात को रखने और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में एक समान स्तर पर व्यवस्थित रूप से विकसित और विकासशील

जी-20 वास्तव में क्या है? यह कैसे और क्यों अस्तित्व में आया? यह कैसे काम करता है? जी-7 की ही भांति जी-20 शिखरसम्मेलनों का इतना प्रचार क्यों है, और इन दो अत्यंत प्रतिष्ठा वाले समूहों के बीच क्या संबंध है? जी-20 के कार्यकरण में अब तक भारत का अपना योगदान क्या रहा है? जी-20 शिखरसम्मेलन की मेजबानी का क्या अर्थ है? किसी शिखरसम्मेलन का आयोजन सफल कैसे बनता है? ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो भारतीय अध्यक्षता और नई दिल्ली घोषणा पर हावी हो सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर इस पत्र में चर्चा करने का प्रयास किया गया है।

> जी-20 का महत्व और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इस तथ्य से प्रतिपादित हुई है कि यह एक ऐसा सुगठित संगठन है जो उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटता है और इसमें दुनिया के सर्वाधिक विशाल और भू-राजनीतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली देश शामिल हैं।

अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।[1] इस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह ब्रेटन वुड्स संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन की तरह एक संधि-आधारित संगठन नहीं है, जिसके निर्णय इसके सदस्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। यह आम सहमति से काम करता है। जी-20 का महत्व और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इस तथ्य से प्रतिपादित हुई है कि यह एक ऐसा सुगठित संगठन है जो उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटता है और इसमें दुनिया के सर्वाधिक विशाल और भू-राजनीतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली देश शामिल हैं। इस मंच के निर्णयों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के कामकाज को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है।

तथापि, जी-20 की वैश्विक आर्थिक शासन शैली अनौपचारिक है। नेतागण महत्वपूर्ण आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को उठाते हैं और वर्तमान अध्यक्ष द्वारा एक साथ रखे गए सहमत एजेंडे पर नीतिगत विचार-विमर्श में शामिल होते हैं। वे विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एफएसबी और ओईसीडी जैसे प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त तकनीकी टिप्पणियों के साथ कार्यकारी और विशेषज्ञ समूहों को उनकी जांच का कार्य सौंपते हैं। पूर्वप्रथा के विपरीत, जब विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का मुख्य स्रोत माना जाता था, अब इन संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे विकसित और विकासशील, दोनों ही देशों के नीतिगत ढाँचों की समान रूप से जाँच करें। अंतिम नीतिगत सिफारिशें अध्यक्ष द्वारा नेताओं के वक्तव्य के रूप में एक साथ रखी जाती हैं, जो एक गैर-बाध्यकारी आम सहमति दस्तावेज होता है, जिन्हें जी-20 देश अपनी घरेलू नीतियों में शामिल करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं।

> 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए समन्वित प्रोत्साहन उपायों के मामले में जी-20 के शासन की यह खुली और लचीली शैली आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी और सफल साबित हुई।

---

1. जी-20 में 19 सर्वाधिक विकसित और विकासशील देश शामिल हैं, अर्थात् अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ बीसवां सदस्य है, जिसका प्रतिनिधित्व रोटेटिंग काउंसिल प्रेसीडेंसी और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र, ओईसीडी, विश्व व्यापार संगठन और एफएसबी जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जी-20 प्रक्रिया में सहायता करते हैं और उनके शिखरसम्मेलन की बैठकों में भाग लेते हैं।

फिर भी, जी-20 उत्तर-दक्षिण की तर्ज पर विभाजित वैश्विक शासन की पुरानी विभाजनकारी शैली की तुलना में एक बड़ा कदम है, जहां बहुत कम वार्तालाप विद्यमान था तथा जी-7 और जी-24, जी-33 और जी-77 जैसे विकासशील देशों के समूहों के बीच बहुत कड़वाहट थी।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए समन्वित प्रोत्साहन उपायों के मामले में जी-20 के शासन की यह खुली और लचीली शैली आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी और सफल साबित हुई।

जी-20 के नेताओं ने इस पर बात आम सहमति व्यक्त की कि सामूहिक रूप से क्या कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है, । प्रत्येक देश ने वापस जाकर वही कदम उठाया जो उसके देश की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त था। जबकि कोई देश विशिष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त अथवा निर्धारित नहीं की गई थी, फिर भी इस आम सहमति को घरेलू नीति में शामिल किया गया था, और सभी देशों ने अभूतपूर्व पैमाने और समन्वित तरीके से मौद्रिक और राजकोषीय, दोनों ही नीतियों का उपयोग किया। इस तरह जी-20 ने एक अन्य महामंदी को टाल दिया है।

इसी प्रकार, जब प्रतिकूल समय समाप्त हो गया, तो जी20 के नेता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं जैसे आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्लयूटीओ, आईओएससीओ, एफएसबी आदि को यह निर्देश देने के लिए प्रोत्साहित हुए कि वे अपने आंतरिक शासन और वैश्विक नियमों जो उन्होंने विशेषज्ञ के अनुरूप लागू किए थे, दोनों ही में जी-20 नेताओं द्वारा की गई और उनके द्वारा समर्थित सिफारिशों के अनुसार सुधार करें। संसाधन जुटाने के मामले में, जहां प्रतिबद्धताएं जी-20 देशों द्वारा की जाती हैं, ये विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक आधार पर होती हैं और देश की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती हैं, जिनकी प्रत्येक देश द्वारा स्वयं व्याख्या की जाती है, और नैतिक पहुंच के माध्यम से लागू किया जाता है।

इसके अलावा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वय और सहयोग उन देशों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिन्हें अग्रदर्शी नीतिगत प्रतिबद्धताएं प्रदान करने में कठिनाई हो रही है। इन्हें जी-20 देशों की घरेलू विधायी, विनियामक और न्यायिक प्रक्रियाओं को निर्देशित किए जाने की आवश्यकता है। देश केवल वही प्रतिबद्धता कर सकते हैं जो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से पहले ही सफलतापूर्वक निर्देशित की जा चुकी है। यूरोपीय संघ की तर्ज पर अथवा ओईसीडी की कार्यशैली के अनुरूप, अन्य देशों के नीतिगत ढांचों की दृढ़, दूरंदेशी प्रतिबद्धताएं प्राप्त करना, या उनसे तीखी आलोचना प्राप्त करना, इस स्तर पर कठिन और विभाजनकारी, दोनों ही प्रतीत होता है।

जी20 नेताओं ने अपने शुरुआती शिखरसम्मेलनों के दौरान एक 'पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया' (एमएपी) को अपनाने का प्रयास किया, जहां जी-20 ने सामूहिक रूप से निगरानी और आकलन करने का प्रयत्न किया कि क्या प्रत्येक जी20-सदस्य देश की नीतियों की सामान्य दिशा मध्यम से दीर्घावधि तक पारस्परिक रूप से सुसंगत और सहमत तरीके से आगे बढ़ रही है। तथापि, एक-दूसरे के नीतिगत ढाँचे पर टिप्पणी करना और सहमत प्रतिबद्धताओं का पालन करना बहुत विवादास्पद साबित हुआ, और समय के साथ जी-20 एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ गया है जहां प्रत्येक देश पारस्परिक रूप से सहमत नीतियों पर उनकी स्वयं की प्रगति की एक अद्यतन सूची प्रदान करता है।

यह स्पष्ट है कि वैश्विक शासन की एक अधिक महत्वाकांक्षी शैली निर्मित होने में अभी कुछ समय लगेगा।

फिर भी, जी-20 उत्तर-दक्षिण की तर्ज पर विभाजित वैश्विक शासन की पुरानी विभाजनकारी शैली की तुलना में एक बड़ा कदम है, जहां बहुत कम वार्तालाप विद्यमान था तथा जी7 और जी24, जी33 और जी77 जैसे विकासशील देशों के समूहों के बीच बहुत कड़वाहट थी। यह आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संधि-आधारित संगठनों, जिनके शेयरधारिता पैटर्न उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में वक्र है, और डब्ल्यूटीओ और यूएनएफसीसीसी जैसे वार्ता निकायों के भीतर एक मामला था, और अभी तक बना हुआ है। इन संगठनों का इतिहास जी-20 के लिए इस परिचित माध्यम से विपथित न होने के लिए एक सतर्क चेतावनी है।

3

# जी20 का उदय और उत्पत्ति

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) की स्थापना वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) को एक साथ लाने के लिए 1999 में हुए पूर्वी एशियाई संकट के मद्देनजर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को मजबूत करने में योगदान देकर और राष्ट्रीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर संवाद के अवसर प्रदान करके, जी-20 दुनिया भर में विकास, वित्तीय स्थिरता और विकास का समर्थन करने में मदद करता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को मजबूत करने में योगदान देकर और राष्ट्रीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर संवाद के अवसर प्रदान करके, जी-20 दुनिया भर में विकास, वित्तीय स्थिरता और विकास का समर्थन करने में मदद करता है।

| जी20 प्रादेशिक समूह | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **समूह 1** (2001, 2006, आदि) | **समूह 2** (2002, 2007, आदि) | **समूह 3** (2003, 2008, आदि) | **समूह 4** (2004, 2009, आदि) | **समूह 5** (2005, 2010, आदि) |
| आस्ट्रेलिया | भारत | आर्जेंटीना | फ्रांस | चीन |
| कनाडा | रूस | ब्राजील | जर्मनी | इंडोनेशिया |
| सउदी अरब | दक्षिण अफ्रीका | मेक्सिको | इटली | जापान |
| अमेरिका | तुर्की | | यूनाइटेड किंगडम | कोरिया |

| वर्ष | बैठक का स्थान | अध्यक्षता |
|---|---|---|
| 1999 | बर्लिन, जर्मनी | कनाडा |
| 2000 | मांट्रियल, कनाडा | कनाडा |
| 2001 | ओटावा, कनाडा | कनाडा |
| 2002 | नई दिल्ली, भारत | भारत |
| 2003 | मोरेलिया, मेक्सिको | मेक्सिको |
| 2004 | बर्लिन, जर्मनी | जर्मनी |
| 2005 | जियांघे, हेबई, चीन | चीन |
| 2006 | मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया | आस्ट्रेलिया |
| 2007 | केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका |
| 2008 | सल्वाडोर, ब्राजील | ब्राजील |
| 2008 | साओ पाउलो, ब्राजील | ब्राजील |

जी-20 के उदय को एक दीर्घकालिक भौगोलिक प्रवृत्ति के भाग के रूप में देखा जा सकता है।

ओईसीडी देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद स्थापित ब्रेटन वुड्स संस्थानों, 1961 में स्थापित ओईसीडी और 1975 में स्थापित जी-7 के माध्यम से वैश्विक शासन पर अपना वर्चस्व कायम किया है। पिछले कुछ दशकों में, कई बड़े उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमडीई), विशेष रूप से ब्रिक्स, उन ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत तेज गति से बढ़ने लगे, जिनकी विकास दर धीमी होने लगी थी। इक्कीसवीं सदी की शुरुआत तक इस बढ़ते आय अभिसरण ने प्रमुख ईएमडीई को व्यवस्थित रूप से इतना महत्वपूर्ण बना दिया जिससे कि उन्हें वैश्वीकरण को प्रबंधित करने के लिए किसी भी प्रभावी बहुपक्षीय आर्थिक परामर्श प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके। नवगठित जी-20 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर स्तर पर संलग्न होने के

> 1997 में पूर्वी एशियाई संकट के मद्देनजर जी-20 के गठन के बाद से जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए साल में एक बार मिलना शीघ्र ही सामान्य अभ्यास बन गया।

एक 'ट्रोइका' जिसमें तत्काल अतीत, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष शामिल थे, जी-20 के कार्य में निरंतरता लाने और शिखरसम्मेलनों में प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था क्योंकि यह एक समर्पित स्थायी सचिवालय स्थापित नहीं करने का निर्णय लिया गया था।

अलावा, जी-7 देशों ने बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं अर्थात जी5 (ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका) के कुछ नेताओं को उनके वार्षिक शिखरसम्मेलनों के लिए आमंत्रित करना समीचीन पाया जिसे हीलीजेंडम (O5 आउटरीच) प्रक्रिया कहा गया।

1997 में पूर्वी एशियाई संकट के मद्देनजर जी-20 के गठन के बाद से जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए साल में एक बार मिलना शीघ्र ही सामान्य अभ्यास बन गया। मंत्रियों और गवर्नरों की बैठक आमतौर पर वित्त और केंद्रीय बैठक से पहले होती थी। जी-20 सदस्य देशों के बीच कार्यकारी समूहों या विशेषज्ञों के समूह द्वारा बैंक प्रतिनिधियों की बैठकें होती हैं और व्यापक तकनीकी कार्य किया जाता है जिसका उद्देश्य मंत्रियों और राज्यपालों को समकालीन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, ताकि नीतिगत चुनौतियों और विकल्पों के बारे में उनके विचार को बेहतर ढंग से सूचित किया जा सके।

कार्यकारी समूहों और विशेषज्ञ समूहों ने अपनी रिपोर्ट/कार्य योजनाएँ प्रकाशित कीं, जो सर्वसम्मति के दस्तावेज थे, जैसा कि एफएमसीबीजी द्वारा उनकी वार्षिक बैठकों के अंत में जारी किए गए वक्तव्य में संसूचित किया गया था।

कनाडा ने पहले तीन वर्षों के दौरान नए संगठन की अध्यक्षता की, जिसके बाद जी-20 की अध्यक्षता घटक देशों के बीच वार्षिक रूप से घूमती रही, जिन्हें पाँच क्षेत्रीय 'समूहों' में रखा गया था, जिनमें प्रत्येक में चार देश शामिल थे। समूह 3 में केवल तीन देश थे क्योंकि यूरोपीय संघ को किसी समूह में नहीं रखा गया था क्योंकि चक्रीय जी-20 अध्यक्षता उसे सौंपी नहीं गई थी। एक 'ट्रोइका' जिसमें तत्काल अतीत, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष शामिल थे, जी20 के कार्य में निरंतरता लाने और शिखरसम्मेलनों में प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था क्योंकि यह एक समर्पित स्थायी सचिवालय स्थापित नहीं करने का निर्णय लिया गया था।

जी-20 प्रारंभ में कई अनेक समान बहुपक्षीय 'जी' समूहों के लिए एक अन्य समूह ही था जो उस समय अस्तित्व में थे जब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर बहस हुई थी। यह स्पष्ट रूप से जी-7 के अधीनस्थ था। हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट ने प्रमुख विकासशील देशों के नेताओं को स्थायी आधार पर समान स्तर पर वैश्विक आर्थिक शासन में संबद्ध करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

4

# जी-20 - वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए एक अग्रणी मंच

जी-20 प्रारंभ में कई अनेक समान बहुपक्षीय 'जी' समूहों के लिए एक अन्य समूह ही था जो उस समय अस्तित्व में थे जब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर बहस हुई थी। यह स्पष्ट रूप से जी-7 के अधीनस्थ था। हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट ने प्रमुख विकासशील देशों के नेताओं को स्थायी आधार पर समान स्तर पर वैश्विक आर्थिक शासन में संबद्ध करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जारी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकट से उत्पन्न वैश्विक चिंताओं के प्रत्युत्तर में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने 14-15 नवंबर, 2008 को वाशिंगटन डीसी में जी-20 नेताओं के एक शिखरसम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया, जिसमें राज्य/सरकार के प्रमुखों को आमंत्रित आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति बुश ने अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री सहित प्रमुख वैश्विक नेताओं को पत्र लिखे और उनसे बात की।

शिखरसम्मेलन आयोजित करने का निर्णय बुश की फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बारोसो के साथ बैठक के बाद किया गया था। राष्ट्रपति बुश द्वारा बुलाए गए जी-20 शिखरसम्मेलन की तत्कालिक उत्तेजना संभवतः कुछ यूरोपीय देशों द्वारा परिकल्पित विषय पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रोकने के लिए थी, क्योंकि 2008 के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के आसन्न मूल को व्यापक रूप से अमेरिका में वित्तीय विनियमन में महत्वपूर्ण खामियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

वाशिंगटन डीसी, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित सभी प्रथम तीन शिखरसम्मेलन बड़े पैमाने पर वैश्विक वित्तीय संकट से लड़ने पर आधारित थे। विकसित और विकासशील देशों की संतुलित सदस्यता से जी-20 की ठोस और निर्णायक कार्रवाइयाँ संभव हुईं, जिसने वैश्विक शासन में उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटने में मदद की, दुनिया को वित्तीय और आर्थिक संकट से और संभवत: दूसरी महामंदी प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया।

पिट्सबर्ग में विजय की घोषणा "यह सफल रहा" करने के बाद जी20 ने अपना ध्यान संरचनात्मक, गैर-संकट संबंधी मुद्दों पर केंद्रित किया, जैसे वित्तीय विनियमन में सुधार, वैश्विक असंतुलन का शमन और आर्थिक विकास को बढ़ाना। नेताओं द्वारा अनेक कार्यकारी समूहों की स्थापना की गई तथा अन्य मंत्रिस्तरीय प्रक्रियाओं को भी जोड़ा गया, जैसे विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री,

पिट्सबर्ग में विजय की घोषणा "यह सफल रहा" करने के बाद जी20 ने अपना ध्यान संरचनात्मक, गैर-संकट संबंधी मुद्दों पर केंद्रित किया, जैसे वित्तीय विनियमन में सुधार, वैश्विक असंतुलन का शमन और आर्थिक विकास को बढ़ाना।

इस आशय की एक औपचारिक घोषणा 2009 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में तीसरे जी-20 शिखरसम्मेलन में नेताओं के वक्तव्य में की गई थी, जहाँ नेताओं ने जी-20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित किया था। इस पदनाम ने प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक आर्थिक मुद्दों को संचालित करने के लिए प्रमुख मंच के रूप में जी7 का स्थान ले लिया, और इसे वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया।

व्यापार मंत्री, कृषि मंत्री आदि। ये सभी कार्य धाराएँ जी-20 शिखरसम्मेलन घोषणा के लिए अपना योगदान करती हैं। अब गैर-सरकारी जी-20 प्रक्रियाओं की संख्या भी बढ़ रही है, जैसे टी (थिंक टैंक) 20, डब्ल्यू (महिला) 20, वाई (युवा) 20, आदि। जबकि जी20 ने अनेक अन्य महत्वपूर्ण और ठोस परिणाम दिए हैं, इसने नेताओं को वार्षिक शिखरसम्मेलनों के साथ विद्यमान जी-20 एफएमसीबीजी प्रक्रिया को परस्पर संयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आशय की एक औपचारिक घोषणा 2009 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में तीसरे जी-20 शिखरसम्मेलन में नेताओं के वक्तव्य में की गई थी, जहाँ नेताओं ने जी-20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित किया था।

इस पदनाम ने प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक आर्थिक मुद्दों को संचालित करने के लिए प्रमुख मंच के रूप में जी7 का स्थान ले लिया, और इसे वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया। तथापि, जी-7 भू-राजनीतिक मामलों पर प्रमुख मंच बना रहा। प्रमुख मंच के रूप में जी-20 के उद्भव के साथ, वैश्विक आर्थिक शासन के अधिक समावेशी होने की आशा की जाती थी क्योंकि इस मंच में प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ उन्नत जी-7 औद्योगिक देश भी शामिल थे। जी-20 की अगुआई में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय शासन के अनेक ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत की गई जिसने वैश्विक वित्तीय संस्थानों के कामकाज और शासन में मूलभूत परिवर्तन लाने की आशाओं में वृद्दि की।

पिट्सबर्ग में तीसरे शिखर सम्मेलन के बाद, भारत को कनाडा के साथ, मजबूत सतत और संतुलित विकास के ढांचे पर जी-20 कार्यसमूह की सह-अध्यक्षता करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे अभी भी व्यापक रूप से जी-20 शिखरसम्मेलन का 'हृदय और आत्मा' माना जाता है। ।

## जी-20 बैठकें : शिखरसम्मेलन स्तरीय

| वर्ष | बैठक का स्थान | अध्यक्षता |
|---|---|---|
| 2008 | वाशिंगटन डीसी, यूएसए | ब्राजील |
| 2009 | लंदन, यूके | यूके |
| 2009 | पिट्सबर्ग, यूएसए | यूके |
| 2010 | टोरंटो, कनाडा | द. कोरिया |
| 2010 | सियोल, दक्षिण कोरिया | दक्षिण कोरिया |
| 2011 | कैंस, फ्रांस | फ्रांस |
| 2012 | लॉस कैबोस, मेक्सिको | मेक्सिको |
| 2013 | सेंट पीटर्सबर्ग, रूस | रूस |
| 2014 | ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया |
| 2015 | अंटाल्या, तुर्की | तुर्की |
| 2016 | हैंगझोउ, चीन | चीन |
| 2017 | हैम्बर्ग, जर्मनी, | जर्मनी |
| 2018 | ब्यूनस आयर्स, आर्जेंटीना | आर्जेंटीना |
| 2019 | ओसाका, जापान | जापान |
| 2020 | रियाद (*वर्चुअल*), सउदी अरब | सउदी अरब |
| 2021 | रोम, इटली | इटली |
| 2022 | बाली, इंडोनेशिया | इंडोनेशिया |
| 2023 | नई दिल्ली, भारत | भारत |

जी-20 के सदस्य के रूप में, भारत प्रारंभ से ही वैश्विक आर्थिक शासन और वैश्विक विश्व व्यवस्था को पुन: समुचित आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

2008 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित पहले जी-20 शिखरसम्मेलन में, कार्रवाईयोग्य बिंदुओं को क्रियान्वित करने के लिए चार कार्यकारी समूहों (वित्तीय विनियमन, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और पारदर्शिता, आईएमएफ सुधार और बहुपक्षीय विकास बैंकों पर) की स्थापना की गई थी। इन कार्यकारी समूहों की सह-अध्यक्षता विकसित और विकासशील देशों के एक-एक प्रतिनिधि द्वारा की गई और इसमें सभी जी-20 देशों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारत ने वित्तीय विनियमन पर पहले कार्यसमूह की सह-अध्यक्षता की। पिट्सबर्ग में तीसरे शिखर सम्मेलन के बाद, भारत को कनाडा के साथ, मजबूत सतत और संतुलित विकास के ढांचे पर जी-20 कार्यसमूह की सह-अध्यक्षता करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे अभी भी व्यापक रूप से जी-20 शिखरसम्मेलन का 'हृदय और आत्मा' माना जाता है। ।

चक्रानुक्रम अध्यक्षता की प्रणाली को जारी रखा गया था, लेकिन उस समय से इसे काफी संशोधित किया गया तथा अधिक लचीला बना दिया गया जब जी-20 का उन्नयन नेताओं के स्तर तक कर दिया गया था। इस प्रकार, पहला जी-20 शिखर सम्मेलन 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, भले ही इसका अध्यक्ष ब्राजील था, और 2009 में यूके और यूएसए में आयोजित किया गया, भले ही 2009 में इसका अध्यक्ष यूके था। 2010 में कोरियाई अध्यक्षता के तहत शिखरसम्मेलन कनाडा (जून 2010) और कोरिया (नवंबर 2010) में आयोजित किए गए थे।

मंत्रिस्तरीय प्रक्रिया और शिखरसम्मेलन के अध्यक्षों के इस संयोजन को 2011 में दुरुस्त किया गया, जब जी-20 शिखरसम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम बन गए थे।

जी-20 शेरपाओं ने इस संस्था के आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय नौकरशाही के अधीन हो जाने के भय से अपना स्वयं का सचिवालय स्थापित नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया। यह चाहा गया कि नेता एजेंडे और शिखरसम्मेलन की प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखें।

तथापि, उस वर्ष जी-20 अध्यक्ष के रूप में फ्रांस (समूह 1) का चुनाव जी-20 एफएमसीबीजी रोटेशन रोस्टर के अनुसार नहीं था। दक्षिण कोरियाई अध्यक्षता (समूह 5) का समूह 1 में एक देश द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए था। तथापि, जी-20 शेरपाओं ने एफएमसीबीजी बकेट प्रणाली का पालन करने का निर्णय लिया, परंतु पिछले चक्रानुक्रम में इस अनौपचारिक समझ के साथ कि अध्यक्षता को आदर्श रूप से विकसित और विकासशील देशों के बीच वैकल्पिक होना चाहिए। ब्यूनस आयर्स में 13वें शिखर सम्मेलन तक इस प्रथा का पालन किया गया। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2018 में अर्जेंटीना की अध्यक्षता के तहत 13वें शिखरसम्मेलन (2015 के अपवाद के साथ) तक अपनाई गई प्रथा का पालन करते हुए बकेट प्रणाली को हटा दिया गया है। तब से, जी-20 नेताओं ने अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक लचीली लेकिन न्यायसंगत प्रणाली का पालन किया है। इस बात पर ध्यान देना दिलचस्प है कि हालांकि अमेरिका (2) और कनाडा (1) दोनों ने जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर[2] जी-20 की अध्यक्षता नहीं की है क्योंकि इसे नेताओं के स्तर तक उन्नयित किया गया था।

जी-20 ट्रोइका भी जारी रहा। भारत दिसंबर 2022 में ट्रोइका में शामिल हुआ और दिसंबर 2024 में इसके बाहर निकलने तक सदस्य के रूप में बना रहेगा। हालांकि ट्रोइका प्रणाली प्रभावी रूप से निष्क्रिय हो गई क्योंकि जी-20 एफएमसीबीजी प्रक्रिया अब एक 'शेरपा' चैनल के साथ आच्छादित हो गई थी जो ऐसे अनेक नए चैनलों को समन्वित करती थी जिन्हें जी-20 के नेताओं के स्तर तक उन्नयित होने के बाद स्थापित किया गया था। शिखरसम्मेलन की घोषणा को स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार नेता के बिंदु व्यक्ति के रूप में शेरपा वस्तुत: ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण जी-20 पदाधिकारी हैं।

## 5

# भारतीय अध्यक्षता के लिए मुद्दे : संचालन

जी20 शिखरसम्मेलन की एक समय में एक ही स्थान पर मेजबानी सभी प्रभावशाली वैश्विक नेताओं के साथ-साथ मेजबान देश के अधिकारियों के लिए एक तार्किक और सुरक्षा चुनौती हो सकती है। सभी नेताओं, और विशेष

2 जिस तरह से जी-20 संचालित करता है, उसके बावजूद मेजबान देश अध्यक्ष के परामर्श से शिखरसम्मेलनों के बीच अध्यक्ष के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करता है।

शिखर सम्मेलन में 2-3 विशेष आमंत्रितों को चुनना अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। हालांकि जी-20 का भाग नहीं है, परंपरा के अनुसार स्पेन ने सभी जी-20 शिखरसम्मेलनों में भाग लिया है। अफ्रीका से एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी है। इसके अलावा, अभी भी भारत के पास अपने संपर्क नीति के भाग के रूप में अपनी पसंद के सार्क देश को आमंत्रित करने का विवेक विद्यमान है।

रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अपने स्वयं के सुरक्षा नयाचार और विवरण होते हैं जिन्हें समायोजित करने और मेजबान देश के अपने सुरक्षा नयाचार के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। समझा जाता है कि शिखरसम्मेलन दिल्ली में निर्माणाधीन नए कन्वेंशन सेंटर में होगा। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि शिखरसम्मेलन दिल्ली में ही आयोजित हो। पहले कुछ शिखरसम्मेलनों के बाद, ये ज्यादातर सुविधाजनक स्थानों में आयोजित किए गए हैं, जैसे कैंस (फ्रांस) और लॉस काबोस (मेक्सिको) में। एक उचित सम्मेलन परिसर, सुरक्षा, हवाई और सड़क यातायात नियंत्रण के अलावा, आपको इतने अधिक शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडलों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में 5-सितारा होटलों में अनेक कमरों की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद, जी20 शेरपाओं ने इस संस्था के आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय नौकरशाही के अधीन हो जाने के भय से अपना स्वयं का सचिवालय स्थापित नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया। यह चाहा गया कि नेता एजेंडे और शिखरसम्मेलन की प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखें। सालाना चक्रानुक्रम वाली अध्यक्षता से नई ऊर्जा और नए एजेंडे को समाविष्ट करने और शिखरसम्मेलन को बखूबी संचालित किए जाने की आशा की जाती है। मौजूदा प्रक्रिया पदधारक अध्यक्ष के लिए अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान एक अस्थायी सचिवालय स्थापित करने के लिए बनाई गई है जो समूह के काम का समन्वय करता है और शिखर सम्मेलन सहित अपनी बैठकों का आयोजन करता है। शिखरसम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश में स्थापित सचिवालय शिखरसम्मेलन के लिए जी20 सचिवालय के रूप में कार्य करता है, और वर्ष के दौरान अध्यक्ष द्वारा आयोजित सभी अन्य बैठकें, दोनों वित्त मंत्रियों और शेरपा धाराओं में, और कोई अन्य मंत्रिस्तरीय जिसे अध्यक्ष आयोजित करने का निर्णय लेता है। किसी शिखरसम्मेलन के लिए जहां सभी प्रमुख विश्व नेता एक आम सहमति दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, एक लंबा नेतृत्व समय होता है, जो आम तौर पर एक वर्ष से कुछ अधिक होता है। भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी, 20223 को G20 सचिवालय स्थापित करने के लिए लिए गए निर्णय[3] को इसी आलोक में देखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष परिषद के तहत वित्त मंत्रालय में कार्यरत जी-20 सचिवालय, जो जी-20 शिखरसम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, पिट्सबर्ग में तीसरे जी-20

3 https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/34866/Cabinet+approves+preparations+for+Indias+G20+Presidency+and+setting+up+and+staffing+of+the+G20+Secretariat

संकट यह है कि अगर प्रमुख जी20 खिलाड़ियों से कोई मजबूत समर्थन प्राप्त नहीं होता है, तो गैर-जी-7 देश द्वारा आयोजित जी-20 शिखरसम्मेलन में आधिकारिक एजेंडे पर नहीं होने वाली बाहरी आवश्यकताएं हावी हो सकती हैं।

शिखरसम्मेलन के बाद भारत में चालू हो गया था, जब यह स्पष्ट हो गया था कि हाई-प्रोफाइल जी20 शिखरसम्मेलन अब से वार्षिक कार्यक्रम होंगे। भारत के जी-20 सचिवालय को अब अस्थायी रूप से उन्नयित किया गया है, तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक नई सर्वोच्च समिति का गठन किया गया है तथा जी20 के मुख्य समन्वयक के रूप में पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले शेरपा, जो जी-20 शिखरसम्मेलन का संचालन करते हैं, आदर्श रूप से ऐसे कद वाले होने चाहिए जो जी20 सहकर्मी समूह का सम्मान हासिल कर सकते हैं और साथ ही नेताओं का विश्वास जीत सकते हैं और उन तक आसान पहुंच बना सकते हैं। इस तरह के किसी अत्यंत उच्च प्रतिष्ठा वाली शिखरसम्मेलन के लिए शेरपा को आदर्श रूप से नेता के कार्यालय का भाग होना चाहिए, या अपनी 24X7 पहुंच के साथ उसका विश्वासपात्र होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक अनुभव के साथ कोई सेवारत या सेवानिवृत्त नौकरशाह वांछनीय है लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है।

नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारतीय प्रधान मंत्री के विश्वास का आनंद लेने के लिए जाने जाने वाले अमिताभ कांत की भारतीय जी20 अध्यक्षता के लिए पूर्णकालिक शेरपा के रूप में नियुक्ति को इस आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है।

भारत द्वारा पहले जी-20 शिखरसम्मेलन से अनुपालन की जा रही प्रक्रिया के विपथन मे, नयाचार के संदर्भ में भारतीय शेरपा के पद को कैबिनेट मंत्री के स्तर से कम करते हुए भारत सरकार के सचिव के स्तर पर कर दिया गया है, और वह भी एक ऐसे समय में जब भारत शिखरसम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा होगा। इसलिए वह भारत के वित्त डिप्टी के समकक्ष होंगे।

अध्यक्ष से अपेक्षित है कि वे अपने स्वयं के सचिवालय के माध्यम से वर्तमान में जी-20 को संचालित करने वाली कई कार्य धाराओं को संचालित करें। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और शिखरसम्मेलन के साथ समापन के साथ आयोजित होने वाली अनेक बैठकों की मेजबानी करना भी शामिल है। भारत सरकार ने संकेत दिया है कि "शेरपा ट्रैक के तहत, रोजगार, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और उद्योग, पर्यावरण और जलवायु, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में

नवंबर 2022 में होने वाले बाली शिखरसम्मेलन पर यूक्रेनी संघर्ष और ताइवान को लेकर गतिरोध की छाया निःसंदेह भारी पड़ेगी।

लगभग 100 आधिकारिक बैठकें आयोजित होने की आशा की जा रही है। इसके अलावा, लगभग 50 अकादमिक वार्तालाप, पारस्परिक चर्चा करने वाले समूहों की बैठकें, सम्मेलन, कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रमों के आयोजित होने की आशा है। वित्त क्षेत्र के तहत, लगभग 40 बैठकें आयोजित होने की आशा है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वित्तीय समावेशन और सतत वित्त, अवसंरचना के लिए वित्तपोषण, जलवायु वित्त और कर मामलों के क्षेत्र शामिल हैं।"[4] प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय (शेरपा प्रक्रिया के लिए) और डीईए (एफएमसीबीजी प्रक्रिया के लिए) और मंत्रिस्तरीय बैठकों की मेजबानी करने वाले संबंधित मंत्रालयों में भी मजबूत समर्पित दलों की आवश्यकता प्रतीत होती है। विदेश मंत्रालय को बेहतर संचार के लिए और विशेष रूप से जी-20 में एनजीओ प्रक्रियाओं के लिए प्रतिभागियों के चयन के लिए जी-20 देशों के दूतावासों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

शिखर सम्मेलन में 2-3 विशेष आमंत्रितों को चुनना अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। हालांकि जी-20 का भाग नहीं है, परंपरा के अनुसार स्पेन ने सभी जी-20 शिखरसम्मेलनों में भाग लिया है। अफ्रीका से एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी है। इसके अलावा, अभी भी भारत के पास अपने संपर्क नीति के भाग के रूप में अपनी पसंद के सार्क देश को आमंत्रित करने का विवेक विद्यमान है।

यह अध्यक्ष के लिए प्रथागत है कि वह वर्ष के लिए तीन या चार प्राथमिकताओं को निर्धारित करे और जी-20 प्रक्रिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए नई कार्यधाराओं को शामिल करे। भारत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि उसे किन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की जरूरत है, और अपनी निगरानी में वह कौन सी मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करना चाहता है। जबकि इन्हें भारत के अपने घरेलू हितों को प्रतिबिंबित करना चाहिए, एक सफल शिखरसम्मेलन को कम से कम सबसे बड़े देशों, अर्थात् अमेरिका, जर्मनी (यूरोपीय संघ की ओर से) और चीन से समर्थन प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। जब कोई जी-7 देश शिखरसम्मेलन की अध्यक्षता करता है, तो उनकी प्राथमिकताओं को आमतौर पर अध्यक्ष द्वारा वर्ष के एजेंडे में शामिल किया जाता है, जैसा कि रोम शिखरसम्मेलन के मामले में था। इस प्रकार, वर्तमान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति पद की तीन प्राथमिकताएँ वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, समावेशी डिजिटल परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण हैं।

> विकासशील देशों की यह निरंतर अध्यक्षता एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आती हैं जब यूक्रेन में युद्ध और ताइवान पर गतिरोध ने मौजूदा भू-राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया हुआ है, और इसके साथ-साथ कोविड-19 महामारी ने भी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों से लेकर आय तक और आगे आपूर्ति श्रंखलाओं, ऊर्जा और खाद्य कीमतों तक, इसके कई पहलुओं को बाधित किया है जिसके परिणामस्वरूप 1970 के दशक का स्मरण कराते हुए स्थिर मुद्रास्फीति का वातावरण सृजित हुआ।

4 https://www.mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/35171/QUESTION_NO4068_PRESIDENCY_ROLE_OF_INDIA_IN_G20

स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या विकासशील राष्ट्रों द्वारा लगातार जी20 अध्यक्षता की निरंतरता एक ऐसे कार्रवाईयोग्य एजेंडे में तब्दील हो जाएगी जो जी7 के हितों से परे है और विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाती है।

संकट यह है कि अगर प्रमुख जी-20 खिलाड़ियों से कोई मजबूत समर्थन प्राप्त नहीं होता है, तो गैर-जी-7 देश द्वारा आयोजित जी-20 शिखरसम्मेलन में आधिकारिक एजेंडे पर नहीं होने वाली बाहरी आवश्यकताएं हावी हो सकती हैं। सीरिया का संकट प्रभावी ढंग से सेंट पीटर्सबर्ग शिखरसम्मेलन पर हावी हो गया। ब्रेक्सिट, खशोगी मामला और द्विपक्षीय व्यापार मुद्दों ने ब्यूनस आयर्स शिखरसम्मेलन को प्रभावित किया। हाल ही में संपन्न ओसाका शिखरसम्मेलन में ट्रम्प-शी व्यापार सौदे की संभावनाएं हावी रहीं। रियाद शिखरसम्मेलन व्यक्तिगत रूप से आयोजित नहीं किया गया था, क्योंकि यह कोविड महामारी के कारण एक वर्चुअल शिखरसम्मेलन था। नवंबर 2022 में होने वाले बाली शिखरसम्मेलन पर यूक्रेनी संघर्ष और ताइवान को लेकर गतिरोध की छाया निःसंदेह भारी पड़ेगी।

दुनिया के शीर्ष नेताओं के एक स्थान पर एकत्र होने के साथ, द्विपक्षीय और 'पुल-इन्स' हमेशा जी-20 शिखर सम्मेलनों की एक विशेषता रही है। लेकिन दुनिया के प्रमुख बहुपक्षीय आर्थिक मंच ने कभी भी द्विपक्षीयवाद से अस्तित्वगत खतरे का सामना नहीं किया, जैसा कि आज प्रमुख भू-राजनीतिक खामियों और पीछे हटने में वैश्वीकरण के आवेगों के कारण होता है। भारत के जी-20 शिखरसम्मेलन का आयोजन एक अग्निपरीक्षा साबित सकता है चाहे इसे भारत के जी-20 शिखरसम्मेलन का आयोजन एक अग्निपरीक्षा सिद्ध हो सकता है चाहे इसे नई दिल्ली घोषणा/कार्य योजना के लिए याद किया जाए, या महाशक्तियों के बीच किसी हाई-प्रोफाइल द्विपक्षीय सौदे/पुल-इन के लिए।

6

## भारत की अध्यक्षता के लिए मुद्दे: नीति

भारत को 2023 में होने वाले 17वें जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी प्राथमिकताओं की घोषणा करनी बाकी है। फिर भी जी-20 पटल पर पहले से मौजूद मुद्दों पर, इसकी अपनी ताकत, घरेलू प्राथमिकताओं और प्रचलित भू-राजनीतिक और आर्थिक वैश्विक वातावरण के अनुसार यह अनुमान लगाना संभव है कि यह एजेंडा क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए।

हालांकि शुरुआती चरणों में जी-20 शेरपाओं के बीच यह समझ थी कि आदर्श रूप से विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रेसीडेंसी को वैकल्पिक रूप से होना चाहिए, अगले तीन जी-20 अध्यक्ष (इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील) सभी विकासशील देश हैं। चूँकि दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा जी-20 देश है जिसने न तो किसी शिखरसम्मेलन की मेजबानी की है और न ही इसकी अध्यक्षता की है, इस बात की प्रबल संभावना है कि वस्तुत: निरंतर चार विकासशील देश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं।

कई दशकों की आर्थिक सह-निर्भरता के बाद, दुनिया की दो महाशक्तियों, अर्थात् अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, अब जी20 सहित सभी प्रमुख बहुपक्षीय संस्थानों पर एक गहरा प्रभाव डालती है। विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ में चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते हाल के विवाद जो इसके औपचारिक प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व से बहुत आगे तक फैले हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शासन में बढ़ते अविश्वास का उदाहरण हैं।

विकासशील देशों की यह निरंतर अध्यक्षता एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आती हैं जब यूक्रेन में युद्ध और ताइवान पर गतिरोध ने मौजूदा भू-राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया हुआ है, और इसके साथ-साथ कोविड-19 महामारी ने भी आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों से लेकर आय तक और आगे आपूर्ति श्रंखलाओं, ऊर्जा और खाद्य कीमतों तक, इसके कई पहलुओं को बाधित किया है जिसके परिणामस्वरूप 1970 के दशक का स्मरण कराते हुए स्थिर मुद्रास्फीति का वातावरण सृजित हुआ। 2008 के महान वित्तीय संकट की ही भांति, उन्नत देशों में उत्पन्न होने वाला संकट उभरते बाजारों और यूरोप के बाहर गरीब विकासशील देशों पर अनुपातहीन आर्थिक प्रभाव छोड़ता है जो हताश मूकदर्शक बने बैठे हैं।

क्या तीन अध्यक्षताओं के तहत जी-20 लंदन में दूसरे शिखर सम्मेलन में किए गए वित्तीय पैकेज को एक साथ रख पाएगा या नहीं, यह देखना बाकी है।

विकसित और विकासशील दोनों देशों में जलवायु परिवर्तन की गति और तीव्रता पर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। ये गंभीर आम खतरे न केवल जी20 संवाद का ध्यान ईएमडीई से संबंधित विकासात्मक मुद्दों पर वापस लाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि जी-7, जी-20 और सबसे गरीब देशों के हितों के मेल के रूप में एक आम सहमति बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यह इस बात का बैरोमीटर है कि समय कैसे बदल गया है, और कैसे जलवायु परिवर्तन अब वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है, जबकि विकासशील देशों ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने पर बहस करने वाले शुरुआती जी-20 शिखर सम्मेलनों में कम कार्बन रिकवरी के संदर्भों का दृढ़ता से विरोध किया था।

अमेरिका और रूस दोनों के रणनीतिक क्षेत्रीय साझेदार के रूप में, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अच्छी स्थिति में है, हालांकि चीन के साथ इसके शत्रुतापूर्ण संबंध, जिसे रूस के करीबी के रूप में देखा जाता है, इस कार्य को चुनौतीपूर्ण बना सकता है।

पिछले जी-7 और जी-20 नेताओं के बयानों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार तथा माल और सेवाओं दोनों में निवेश (पारंपरिक और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों सक्षम), और बहुपक्षीय आर्थिक शासन को मजबूत करना विकासशील देशों के समान ही तीन बड़े देशों के लिए भी रुचि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। विनाशकारी कोविड महामारी के मद्देनज़र स्वास्थ्य चौथा नया प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा है।

जी-20 के भीतर विकसित और विकासशील दोनों देश अब कोविड-19 महामारी से वापस उबरते हुए 'बिल्डिंग बैक बेटर' की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर निर्माण का तात्पर्य अनिवार्य रूप से कम कार्बन रिकवरी होगी।

स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या विकासशील राष्ट्रों द्वारा लगातार जी-20 अध्यक्षता की निरंतरता एक ऐसे कार्रवाईयोग्य एजेंडे में तब्दील हो जाएगी जो जी-7 के हितों से परे है और विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाती है। ऐसी कई चुनौतियां हैं जो हमारे सामने खड़ी हैं।

सर्वप्रथम, जबकि निरंतर अध्यक्षता के अंतर्गत इस तरह का समन्वय जी-20 ट्रोइका के माध्यम से संभव है, जिसमें वर्तमान, पूर्ववर्ती और आगामी अध्यक्ष शामिल होते हैं, व्यवहार रूप में ट्रोइका में करीबी एजेंडा समन्वय का अतीत में निरंतर होने वाली गैर-जी7 अध्यक्षता से अभाव रहा है। इसे अधिकांशत: वर्तमान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया है जिनकी प्राथमिकताएँ घरेलू बहसों और राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रेरित होती हैं। जी-7 के विपरीत, जिसका एक साथ मिलकर काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है, तीनों देशों में से किसी का भी एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रणनीतिक द्विपक्षीय संबंध नहीं है, जिससे तीन अध्यक्षों के बीच निकट समन्वय की आशा की जा सकती है।

जलवायु परिवर्तन और व्यापार और निवेश अधिकांश विकासशील देशों के रक्षात्मक एजेंडे रहे हैं क्योंकि वे यूएनएफसीसीसी और डब्ल्यूटीओ में अपनी विशेष रुचि को छोड़ने और जी-20 फोरम में नई प्रतिबद्धताएं बनाने के लिए अनिच्छुक हैं। बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों में शासन सुधार और दूसरी ओर विकास सहायता उनके आक्रामक एजेंडे रहे हैं ।

दूसरा, उच्चतम वैश्विक मंच पर बहुपक्षवाद के विकासशील (जी-7) देशों के हाथों में एक उपकरण के रूप में रहने के कारण विवादों के घेरे में आ गया है जो मुख्य रूप से अपने स्वयं के वाणिज्यिक और भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयास करते हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली में विकासशील देशों की सीमित संस्थागत क्षमता ने छोटे राष्ट्रों के लिए प्रमुख नीति या सहायता निर्णयों को प्रभावित करना ऐतिहासिक रूप से कठिन बना दिया है।[5] यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने बहुपक्षीय सहयोग को विषम बना दिया है, जिससे आगामी बाली शिखरसम्मेलन में पूर्ण उपस्थिति भी एक बड़ी चुनौती बन गई है।

तीसरा, कई दशकों की आर्थिक सह-निर्भरता के बाद, दुनिया की दो महाशक्तियों, अर्थात् अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, अब जी-20 सहित सभी प्रमुख बहुपक्षीय संस्थानों पर एक गहरा प्रभाव डालती है। विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ में चीन के बढ़ते प्रभाव के चलते हाल के विवाद जो इसके औपचारिक प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व से बहुत आगे तक फैले हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शासन में बढ़ते अविश्वास का उदाहरण हैं। यूक्रेन में युद्ध और ताइवान पर गतिरोध के बाद, यह प्रमुख भू-राजनीतिक वैश्विक प्रतिद्वंद्विता एक दूसरे के साथ खत्म हो गई है, जिसमें अधिकांश ओईसीडी देश रूस और चीन के खिलाफ हैं। इन भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को प्रबंधित करना तीन आगामी अध्यक्षों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी जो इस बड़ी शक्ति के खेल में अपेक्षाकृत छोटे भागीदार हैं। तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इंडोनेशिया और भारत दोनों ही एशिया में चीन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति आशंकित हैं और भू-राजनीतिक समर्थन के लिए अमेरिका की ओर देखते हैं। तीनों देश यूक्रेन मुद्दे पर पक्ष लेने से भी हिचक रहे हैं। बहुपक्षवाद को पटरी पर लाना तीनों देशों के रणनीतिक हित में है। अमेरिका और रूस दोनों के रणनीतिक क्षेत्रीय साझेदार के रूप में, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अच्छी स्थिति में है, हालांकि चीन के साथ इसके शत्रुतापूर्ण संबंध, जिसे रूस के करीबी के रूप में देखा जाता है, इस कार्य को चुनौतीपूर्ण बना सकता है।

चौथा, संभवत: इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्रवाईयोग्य एजेंडे को परिभाषित करने की होगी जो इतना शक्तिशाली हो कि तीन बड़े देशों अर्थात अमेरिका, चीन और जर्मनी (यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व) को जी-20 के भीतर उनके एजेंडा के अंतर्गत ला सके। तीन बड़े देशों पर एक मजबूत प्रभाव डालने के अभाव में जी-20 शिखरसम्मेलन में अध्यक्ष द्वारा उल्लिखित प्राथमिकताओं पर बाहरी मामलों के हावी होने का खतरा है, जैसा कि पिछले शिखरसम्मेलनों में हुआ है जिनकी अध्यक्षता जी7 देशों ने नहीं की है। अंत में जो बात मायने रखती है वह मौजूदा अध्यक्ष की घोषित प्राथमिकताओं

5 जोकेला, जुहा (2011). दि जी20: ए पाथवे टु इफेक्टिव मल्टीलेटेरिज़्म? चैलेट पेपर्स, यूरोपियन यूनियन इंस्टिट्यूट फॉर सिक्यूरिटी स्टडीज़, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/The_G20_-_a_pathway_to_effective_multilateralism.pdf पृ. 42. (अंतिम अभिमम्यता 27 अक्तूबर 2021)

आगामी तीन अध्यक्षताओं में, भारत स्वास्थ्य सेवा एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। विकासशील देशों के बीच भारत के समर्थन और फार्मास्युटिकल हब के रूप में इसकी भूमिका को देखते हुए नई दिल्ली द्वारा आगे बढ़ाया गया ऐसा एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।

या नेताओं के शिखरसम्मेलन के बयानों में दिए गए भव्य उपदेशों को ध्यान में रखना नहीं है, जो प्राय: एक शिखरसम्मेलन से दूसरे शिखरसम्मेलन तक दोहराए जाते हैं, लेकिन कार्रवाईयोग्य एजेंडे के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखना है, जो ठोस परिणामों को जन्म दे सकता है। यह यथार्थ रूप से तभी संभव है जब ये देश मंच पर कुछ ऐसा रखें जो बड़े तीन को आकर्षित करे। ये क्या हो सकते हैं?

पिछले जी-7 और जी-20 नेताओं के बयानों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार तथा माल और सेवाओं दोनों में निवेश (पारंपरिक और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों सक्षम), और बहुपक्षीय आर्थिक शासन को मजबूत करना विकासशील देशों के समान ही तीन बड़े देशों के लिए भी रुचि के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। विनाशकारी कोविड महामारी के मद्देनज़र स्वास्थ्य चौथा नया प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा है, जिसमें मंकी पॉक्स जैसी नई महामारियों का ख़तरा मंडरा रहा है।

उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित आम हित के कुछ दूरंदेशी मुद्दों का शायद एक व्यापक पांचवां क्षेत्र भी जोड़ा जा सकता है, जिसके संबंध में अर्थशास्त्री और नीति निर्माता, दोनों ही उत्तर और समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में, यूक्रेन में युद्ध के वृहदआर्थिक पतन की छाया में, जिसके परिणामस्वरूप एक भयावह वातावरण सृजित हो रहा है, जो 1970 के दशक की याद दिलाता है, दो युद्धरत पक्षों, यूक्रेन और रूस जो खाद्यान्न और ईंधन के प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता हैं, के भी बाली और नई दिल्ली दोनों में वैश्विक नेताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए शामिल होने की संभावना है।

तथापि, जी-20 के भीतर विकासशील देशों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने अतीत में इन मुख्य क्षेत्रों पर संघर्ष किया है, जिससे जी20 नेताओं के बयानों में अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे उन्हें शिखरसम्मेलनों में अपने ही बयानों से विचिलित होना कठिन हो गया है जैसे, जैसे, 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं', विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हरित जलवायु कोष योगदान पर

भारत टीकों के उत्पादन और वितरण से संबंधित मामलों पर गहरी कवायद करने और टीकों की पहुंच और उपलब्धता में असमानताओं को दूर करने के लिए एक हिमायती बनने के लिए अच्छी स्थिति में है।

कोपेनहेगन समझौते के साथ विकासशील देशों की उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी की प्रतिबद्धताओं को जोड़ना, 'सबसे गरीब/सबसे कमजोर लोगों के हितों की रक्षा करते हुए जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध करना', 'बाजार निर्धारित विनिमय दरें...और मुद्राओं के प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन से बचना', 'दोहा विकास दौर के जनादेश के अनुरूप एक सफल, महत्वाकांक्षी, व्यापक और संतुलित निष्कर्ष', 'केंद्र में डब्ल्यूटीओ के साथ एक खुले, निष्पक्ष, न्यायसंगत, सतत, गैर-भेदभावपूर्ण और समावेशी नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रतिबद्धता', 'समान और प्रभावी आईएमएफ निगरानी और स्पिल-ओवर प्रभावों की बेहतर पहचान और पता लगाना', 'आईएमएफ कोटा सुधार जो विश्व अर्थव्यवस्था में आईएमएफ सदस्यों के सापेक्ष भार को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं,' आदि। इस भाषा का अधिकांश भाग पहले से मौजूद वैश्विक मंचों में बातचीत से आगे बढ़ाया गया है, जो जी-20 नेताओं के शिखरसम्मेलन से पहले आयोजित किए गए थे।

जलवायु परिवर्तन और व्यापार और निवेश अधिकांश विकासशील देशों के रक्षात्मक एजेंडे रहे हैं क्योंकि वे यूएनएफसीसीसी और डब्ल्यूटीओ में अपनी विशेष रुचि को छोड़ने और जी-20 फोरम में नई प्रतिबद्धताएं बनाने के लिए अनिच्छुक हैं। बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों में शासन सुधार और दूसरी ओर विकास सहायता उनके आक्रामक एजेंडे रहे हैं जहां विकासशील देशों की तुलना में अधिक प्रतिबद्धताओं को बनाने के लिए विकसित अर्थव्यवस्थाओं का लगातार परीक्षण किया जाता है जो इन निकायों में सीमित पहुंच और प्रतिनिधित्व के कारण आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ बातचीत करने में सक्षम हैं।

एक तरीका जिसमें ये अध्यक्ष एक ऐसे एजेंडे को परिभाषित कर सकते हैं जो जी-7 और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हित को जोड़ती है, उनके शेरपाओं द्वारा शिखरसम्मेलन के एजेंडे की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने से पूर्व ही विचारों के आदान-प्रदान के लिए सभी जी-20 देशों की राष्ट्रीय राजधानियों का दौरा करके अपनी अध्यक्षता की शुरुआत से ही सक्रिय भूमिका निभाना हो सकता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके अनुसार दक्षिण कोरिया, जी20 शिखरसम्मेलन के पहले गैर-जी-7 अध्यक्ष, ने 'विकास' को मुख्य जी-20 एजेंडे के रूप में शामिल किया, जिसे बाद में अगली (फ्रांसीसी) अध्यक्षता और उसके बाद आगे बढ़ाया गया।

## क. स्वास्थ्य-देखरेख

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक दायरे के चरम स्वास्थ्य संकटों का प्रबंधन करने में अलग-अलग देशों की अप्रभाकारिता को उजागर किया है, चाहे वे कितने भी विकासशील ही क्यों न हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही मंकी पॉक्स पर एक और वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल जारी कर दिया है, जो कोविड महामारी के ठीक बाद फैला है। तीन आगामी अध्यक्षताओं में, भारत स्वास्थ्य सेवा एजेंडे को

6 https://www.cnbc.com/2022/07/23/who-declares-spreading-monkeypox-outbreak-a-global-health-emergency.html#:~:text=The%20WHO%20declared%20monkeypox%20a%20global%20health%20emergency.,January%202020%20in%20response%20to%20the%20Covid-19%20outbreak.

आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। विकासशील देशों के बीच भारत के समर्थन और फार्मास्युटिकल हब के रूप में इसकी भूमिका को देखते हुए नई दिल्ली द्वारा आगे बढ़ाया गया ऐसा एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारत भविष्य में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए जिस दिशा में आगे बढ़ सकता है, उसकी बेहतर समझ के लिए, हमें केवल जी-20 और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ देश के जुड़ाव को देखने की आवश्यकता है, जब कोविड-19 के माध्यम से महामारी का प्रकोप फैला और वैक्सीन निर्यात और समय पर सहायता विकसित और विकासशील देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय था। भारत टीकों के उत्पादन और वितरण से संबंधित मामलों पर गहरी कवायद करने और टीकों की पहुंच और उपलब्धता में असमानताओं को दूर करने के लिए एक हिमायती बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। एजेंडे में उत्पादन को रोकने वाली बौद्धिक संपदा बाधाओं को दूर करने, नैदानिक परीक्षणों के परिणामों को साझा करने और महामारी के दौरान वैक्सीन प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता की प्रतिबद्धता शामिल हो सकती है।

अमेरिका और यूरोप सहित तीन बड़े देशों की आंतरिक कमजोरियां, उनकी मजबूत स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के बावजूद महामारी के उप-इष्टतम प्रबंधन के माध्यम से उजागर हुईं, और चीन की मंशा और कोविड-19 की उत्पत्ति के आसपास की गतिविधियों के बारे में वैश्विक संदेह, भारत को इस मुद्दे पर वैश्विक नेतृत्व के लिए उच्च नैतिक आधार दे सकता है।

भारत स्थानिक रोगों के प्रबंधन के लिए एक प्रोटोकॉल की दिशा में काम करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में अपनी ताकत का लाभ उठा सकता है, हालांकि पारंपरिक चिकित्सा में मानकीकृत परीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं की कमी वैश्विक फार्मा के प्रभुत्व और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए एक मुद्दा विद्यमान हो सकता है। जो भी हो, दुनिया में मौजूदा भू-राजनीतिक असंतुलन भारत को इस भू-रणनीतिक शून्य को भरने और सभी के लिए विकास सुनिश्चित करने की जी-20 की प्रतिबद्धता को बहाल करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

## ख. बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाओं का शासन

वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी घटती हिस्सेदारी और बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता के कारण इन संस्थाओं को पर्याप्त रूप से संसाधन प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधित हुई, ब्रेटन वुड्स

> मामूली समायोजन के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक भार में बदलाव के अनुरूप ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में अपने भाग को कम करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होती हैं, और विकासशील देश समान रूप से समझौता किए गए मुद्दों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं।

अगर इन अध्यक्षताओं को बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से जोर देना होता, तो इसे उन्हें आवाज और प्रतिनिधित्व के मुद्दे से अलग करना होता, जिसके फलस्वरूप न केवल वे जी20 के बाहर विकासशील देशों के साथ अपनी स्थायी और सॉफ्ट पावर में सुधार करते बल्कि मौजूदा शेयरधारक भी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अधिक से अधिक शेयर/कोटा हस्तांतरित किए बिना अपने स्वयं के योगदान को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हो सकते थे।

संस्थानों को सहायता देने में जी-7 देशों के निरंतर प्रभुत्व पर तेजी से बढ़ती बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सवाल उठाया गया। संधि आधारित बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों में, जैसे विश्व व्यापार संगठन और यूएनएफसीसीसी, जहां प्रत्येक देश के पास एक वोट था, विकासशील देश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के एजेंडे को रोक पाने में और स्वयं के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियों के साथ विशेष सहायता के लिए बातचीत कर पाने में सक्षम नहीं थे।

जबकि उभरते बाजारों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, विकसित अर्थव्यवस्थाएं इन नक्काशीदार बहियों पर फिर से बातचीत करना चाहती थीं। युद्ध के बाद बहुपक्षवाद का पहला संकट संस्थाओं के दोनों सेटों के शासन में इन टकरावों से उत्पन्न हुआ। जी-20 के उदय, जो एक तरह से जी-7 का लोकतंत्रीकरण ही था, जिस पैटर्न पर स्वयं जी-20 आधारित था, को इस गतिरोध से बाहर निकलने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।[7]

अपनी प्रारंभिक सफलता के बावजूद, जी-20 उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटने में असफल ही प्रतीत होता है जिससे बहुपक्षीय सहयोग को कम करके आंका जाता है। मामूली समायोजन के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक भार में बदलाव के अनुरूप ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में अपने भाग को कम करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत होती हैं, और विकासशील देश समान रूप से समझौता किए गए मुद्दों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं। इससे कोई सहायता नहीं मिली कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में, और इससे भी अधिक कोविड महामारी के मद्देनजर, विकासशील देशों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकास में तेजी से गिरावट आई है।

तीनों देशों ने ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में अपनी आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जी-20 फोरम में वर्षों से मिलकर काम किया है, और डब्ल्यूटीओ और यूएनएफसीसीसी में सहमत विकासशील देशों के लिए विशिष्ट मुद्दों की मान्यता को जी-20 में अवरुद्ध करने के लिए कार्य किया है। उनकी निरंतर जी-20 की अध्यक्षता संभवत: इस बात पर विचार करने का एक अच्छा समय है कि क्या उनके रुख पर पुनर्विचार करने से बहुपक्षीय संस्थाओं

7 विषय के आगे अन्वेषण के लिए देखिए https://www.icwa.in/guestcolumn/07062021.pdf.

में उत्तर-दक्षिण सहयोग वापस पटरी पर आ सकता है।

ब्रेटन वुड्स संस्थाएं अनिवार्य रूप से विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए हैं। दानदाताओं का योगदान इन संगठनों में उनके हिस्से/कोटे के अनुपात में होता है। इस सहायता के सबसे बड़े लाभार्थियों के रूप में, वे यह बात समझ गए थे कि इन प्रवाहों के प्रबंधन में अपनी आवाज़ और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से आगे बढ़ना उनके लिए उचित रहेगा। हालाँकि, जी-20 में बड़े विकासशील देश अब भुगतान संतुलन संकट और उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार के प्रति पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर हो चुके हैं।

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान यह बैकस्टॉप यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा प्रदान किया गया था, जिसमें जी-20 द्वारा संसाधनों का अधिकांश अतिरिक्त जुटाव आईएमएफ के लिए उन्नत, लेकिन छोटे यूरोपीय संघ के देशों में जा रहा था।

आईएमएफ में हाल ही में एसडीआर वृद्धि की अप्रासंगिकता को इस समझ के चलते बड़ी राहत मिली कि रियायती सहायता के रूप में गरीब देशों को 650 बिलियन डॉलर के आईएमएफ एसडीआर के नए मुद्दे को फिर से आवंटित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आईएमएफ की अपने कोटा के अनुपात में इसकी सदस्यता से उधार लेने की क्षमता, और आपातकालीन संकट सहायता प्रदान करने के लिए इसका उपयोग, अब उनके द्वारा आयोजित कोटा के अनुपात में उन्हें आवंटित एसडीआर पर आहरण करने वाले देशों की तुलना में कहीं अधिक प्रासंगिक है।

बहुपक्षीय सहायता प्रवाह अब केवल छोटी और गरीब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तीन अध्यक्षों को यह स्वयं से पूछने की आवश्यकता कि क्या वे इस सहायता के प्राप्तकर्ताओं के बिना भी अपने बहुपक्षीय सहायता योगदान को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बहुपक्षीय सहायता वर्तमान में 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर से बहुत कम है जो विकासशील देशों को संकट से बचने के लिए आवश्यक है। आईएमएफ में, एसडीआर का आवंटन प्रतिगामी है क्योंकि अधिकतम

विकासशील देश उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य से सहमत होने के प्रति बेहद अनिच्छुक रहे हैं, और हर स्थिति में उत्तर से दक्षिण तक वित्तीय और तकनीकी हस्तांतरण पर वैश्विक समझौते के भाग के रूप में किसी भी प्रतिबद्धता को शामिल करते हैं। कार्बनअनुकूल विकास के लिए एक बदलाव न केवल महंगा है, बल्कि यह इसमें शामिल अधिकांश प्रौद्योगिकी विकसित देशों में स्थित बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के स्वामित्व में है।

सहायता विकसित राष्ट्रों को प्राप्त होती है जिन्हें इसकी कम-से-कम आवश्यकता होती है[8] (बीयू, 2021)।

अगर इन अध्यक्षताओं को बहुपक्षीय आर्थिक संस्थानों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से जोर देना होता, तो इसे उन्हें आवाज और प्रतिनिधित्व के मुद्दे से अलग करना होता, जिसके फलस्वरूप न केवल वे जी20 के बाहर विकासशील देशों के साथ अपनी स्थायी और सॉफ्ट पावर में सुधार करते बल्कि मौजूदा शेयरधारक भी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अधिक से अधिक शेयर/कोटा हस्तांतरित किए बिना अपने स्वयं के योगदान को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हो सकते थे।

## ग. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण

यूएनएफसीसीसी के भीतर विकासशील देशों की बातचीत का रुख अब तक 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (सीबीडीआर)' के सिद्धांत पर आधारित रहा है। पश्चातवर्ती उद्योगपतियों के रूप में उन्हें शेष 'संधारणीय' कार्बन स्पेस के बढ़ते भाग की आवश्यकता होती है, जिसका बड़ा भाग उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के विकास के दौरान पहले ही उपयोग किया जा चुका है।। इस प्रकार, जबकि चीन और भारत जैसे बड़े विकासशील देशों में वृद्धिशील उत्सर्जन वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा है, उनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है।

इस प्रकार 2018 में भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया में दुनिया का तीसरा, पांचवां और छठा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन हुआ है।[9]

विकासशील देश उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य से सहमत होने के प्रति बेहद अनिच्छुक रहे हैं, और हर स्थिति में उत्तर से दक्षिण तक वित्तीय और तकनीकी हस्तांतरण पर वैश्विक समझौते के भाग के रूप में किसी भी प्रतिबद्धता को शामिल करते हैं। कार्बनअनुकूल विकास के लिए एक बदलाव न केवल महंगा है, बल्कि यह इसमें शामिल अधिकांश प्रौद्योगिकी विकसित देशों में स्थित बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के स्वामित्व में है।

परिणामस्वरूप अधिकांश उत्सर्जन संबंधी कटौती प्रतिबद्धताएं विकसित देशों द्वारा प्रारंभ में की गई थीं। सदस्यों को उत्सर्जन में कटौती पर सहमत होने के लिए लंदन में दूसरे जी20 शिखरसम्मेलन के दौरान एफएमसीबीजी बैठकों में व्यापक चर्चा हुई, लेकिन ये अनिर्णायक थे और कम कार्बन रिकवरी सहित जलवायु परिवर्तन के मुद्दे नेताओं की विज्ञप्ति में स्थान पाने में विफल रहे। 2009 में कोपेनहेगन में सीओपी 15 में हरित जलवायु कोष के निर्माण के बाद, 2015 में सीओपी 21 में पेरिस समझौते के माध्यम से एक बड़ी सफलता मिली, जहां 196 पक्षकार/देश विधिक रूप से बाध्यकारी 'राष्ट्रीय अवधारित योगदान' पर सहमत हुए, जिसे प्रत्येक वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री

8 बोस्टन यूनिवर्सिटी (बीयू) ग्लोबल डेवेपमेंट पॉलिसी सेंटर (2021)। "रिक्लेमिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स फॉर ए क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड जस्ट ट्रांज़ीशन : प्रोस्पेक्ट्स फॉर ए रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट।" 28 सितम्बर. https://www.bu.edu/gdp/2021/09/28/re-channeling-special-drawing-rights-for-a-climate-resilient-and-just-transition-prospects-for-a-resilience-and-sustainability-trust/?utm_source=Online+Subscribers&utm_campaign=e646b030bd-October+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_9d231ceee7-e646b030bd-171147426 (last accessed on 31 October 2021) पर उपलब्ध।

9 https://www.ft.com/content/9dfb0201-ef77-4c05-93cd-1e277c7017cf

बदलते गठबंधनों और क्षेत्रीय ब्लॉकों के माध्यम से वैश्विक व्यापार नियम तेजी से बहु-ध्रुवीय होते जा रहे हैं, जिन पर नए तरजीही बहुपक्षीय व्यापार समझौतों जैसे एएफसीएफटीए, सीपीटीपीपी औ आरसीईपी का वर्चस्व है।

सेल्सियस तक सीमित करने के लिए एक वैश्विक कॉम्पैक्ट के भाग के रूप में प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाना था।[10]

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, पेरिस समझौते के तहत नए अद्यतन एनडीसी पर विचार करने के बाद भी कॉप-26 की शुरुआत से ठीक पहले जारी अपनी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि 2100 तक तापमान में 2.7 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। जबकि यह पेरिस समझौते की पूर्व संध्या पर 2014 में 4 डिग्री और यूएनईपी ईजीआर 2019 में 3.2 डिग्री के अनुमान की तुलना में सुधार दर्शाता है, यह अभी भी 1.5 डिग्री की 2015 की महत्वाकांक्षा से बहुत दूर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, पेरिस समझौते के तहत नए अद्यतन एनडीसी पर विचार करने के बाद भी कॉप26 की शुरुआत से ठीक पहले जारी अपनी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि 2100 तक तापमान में 2.7 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। जबकि यह पेरिस समझौते की पूर्व संध्या पर 2014 में 4 डिग्री और यूएनईपी ईजीआर 2019 में 3.2 डिग्री के अनुमान की तुलना में सुधार दर्शाता है, यह अभी भी 1.5 डिग्री की 2015 की महत्वाकांक्षा से बहुत दूर है। तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.1 डिग्री पहले ही बढ़ चुका है, और अधिकांश पर्यावरण विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि 1.5 डिग्री से अधिक तापमान में वृद्धि विनाशकारी होगी, क्योंकि इससे और भी व्यापक और अधिक विनाशकारी जलवायु प्रभाव होंगे। यूएनईपी ने अनुमान लगाया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मौजूदा स्तर को 2030 तक आधा करने की आवश्यकता है। यूक्रेन में युद्ध, जिसने स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, ने सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

हाल के वर्षों में दुनिया भर में सूखे, वाष्प तूफान, बेमौसम बारिश, शहरों में बाढ़, पर्माफ्रॉस्ट और ध्रुवीय बर्फ के पिघलने, आदि[11] जैसी चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और संभावना के साथ-साथ इन आकलनों ने वैश्विक जलवायु वार्ताओं में तेजी लाने और इस विषय को वैश्विक सरकार, कॉर्पोरेट, नागरिक समाज और बहुपक्षीय एजेंडे के शीर्ष पर रखने एक भावना को जन्म दिया है।[12]

यह उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वैश्वीकरण से अधिक खतरा महसूस करती हैं और जहां घरेलू राजनीतिक भावना इसके विरुद्ध हो रही है।उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण से अधिक खतरा महसूस करती हैं और घरेलू राजनीतिक भावना इसके इसके विरुद्द हो रही है। यह उन विकासशील देशों पर लागू होता है जो पिछले कुछ दशकों में व्यापार से हुए लाभ से अधिक लाभान्वित हुए हैं ताकि व्यापार को खुला रखने के कारण को आक्रामक रूप से उठाया जा सके।

10 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
11 https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
12 https://www.ft.com/content/f3ce7f9e-a987-4ab3-ae4d-ae4bff283635

जी-20 में विकासशील देशों द्वारा व्यापार को अब रक्षात्मक एजेंडे के बजाय आक्रामक एजेंडे के रूप में देखा जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के संबंध में बोझ साझा करने पर मतभेद उत्तर-दक्षिण के मुद्दे से आगे बढ़ गए हैं। कॉप-26 वार्ताओं में यह अत्यंत स्पष्ट था कि दक्षिण में कई ऐसे देश हैं, जिनमें द्वीप अर्थव्यवस्थाएं विद्यमान हैं, जो समुद्र के बढ़ते स्तर से भौतिक रूप से नष्ट होने के संकट में हैं, लेकिन जी20 विकासशील देशों से अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं पर जोर दे रहे हैं।

पेरिस कॉप-21 में फ्रांस के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) पहल[13], इसके अत्यधिक पीओएल करों, और एक प्रमुख विकासशील देश के रूप में इसकी स्थिति के आधार पर, भारतीय अध्यक्ष जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण को करीब लाकर और कोपेनहेगन और पेरिस समझौते के प्रमुख वार्तालापों से परे पारंपरिक रूप से रक्षात्मक विकासशील देश के एजेंडे को पर्याप्त तेजी प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

भारतीय अध्यक्ष अधिक महत्वाकांक्षी समयसीमा के साथ, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों, अधिक ठोस उत्सर्जन लक्ष्यों के बदले में विकसित राष्ट्रों द्वारा उच्च पर्यावरण वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए दबाव डाल सकता है।

## घ. व्यापार और निवेश

युद्ध के बाद की अवधि में वैश्विक विकास में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ हुई, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूआई की पूर्व संध्या पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से दो दशकों के भीतर 10% तक तेजी से गिर गई थी। युद्ध के बाद की अवधि में 1947 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते, जो बाद में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था, के परिणामस्वरूप समय साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ, कोटा और सब्सिडी में कमी आई।

पेरिस कॉप-21 में फ्रांस के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) पहल, इसके अत्यधिक पीओएल करों, और एक प्रमुख विकासशील देश के रूप में इसकी स्थिति के आधार पर, भारतीय अध्यक्ष जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण को करीब लाकर और कोपेनहेगन और पेरिस समझौते के प्रमुख वार्तालापों से परे पारंपरिक रूप से रक्षात्मक विकासशील देश के एजेंडे को पर्याप्त तेजी प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

13 https://www.isolaralliance.org/ पहल का आशय सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2030 तक लगभग 1000 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश जुटाना है।

परिणामस्वरूप, व्यापार/जीडीपी अनुपात फिर से बढ़ना शुरू हुआ, 1970 के दशक के मध्य तक 30% तक ठीक हो गया और 2008 में 60% से थोड़ा ऊपर पहुंच गया। 2002-2007 में अस्सी के दशक में 3% से थोड़ा अधिक, 5% से थोड़ा कम पर पहुंच गया।[14] वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर अस्सी के दशक में 3% से थोड़ा अधिक से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ 2002-2007 में 5% से कम के चरम पर पहुंच गई।

युद्ध के बाद की अवधि में उन्नत (और पूर्व शाही) अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्वीकरण के लिए आक्रामक रूप से बल प्रदान किया था, जबकि पूर्व उपनिवेश अनिच्छुक उदारवादी थे। समय के साथ, हालांकि, वैश्वीकरण से अनुपातहीन लाभ और ब्रेटन वुड्स मार्क 1 के पतन के बाद की अवधि में बढ़ती आय अभिसरण ने धीरे-धीरे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वैश्वीकरण से मोहभंग कर दिया। ऐसी भावना थी कि विशेष रूप से उभरते और विकासशील एशिया (और विशेष रूप से चीन) में ईएमडीई ने ब्रेटन वुड्स II के तहत अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और पश्चिमी बाजारों पर कब्जा करने के लिए अपने विशेष नक्काशी और विवेकाधीन विनिमय दर तंत्र का उपयोग करते हुए, अधिकांश लाभ हथिया लिए थे जिसके फलस्वरूप पैमाने पर विऔद्योगीकरण हुआ और ब्लू-कॉलर नौकरियों का नुकसान हुआ। इसने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार और जलवायु परिवर्तन वार्ता दोनों में अधिक विकसित ईएमडीई के लिए विशेष व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए कम इच्छुक बना दिया है। इसी से विश्व व्यापार संगठन और व्यापार बहुपक्षवाद के गतिरोध और धीरे-धीरे टूटने की उत्पत्ति हुई, जिसमें विनिमय दर, एक बार औद्योगिक शुल्कों के स्तर को कम करने के लिए व्यापार वार्ता होने और उन वार्ताओं में उन्हे अप्रासंगिक बना देने के उपरांत औद्योगिक सब्सिडी, श्रम संबंध, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, बौद्धिक संपदा, और अंतर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जैसे नए विवादास्पद मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाविष्ट किया गया।

तथ्य यह है कि कृषि को डब्ल्यूटीओ समझौतों से व्यावहारिक रूप से अछूता रखा गया था, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना सेवाओं के बढ़ते महत्व के साथ बदलने लगी, जिसे पूर्व में गैर-व्यापार योग्य माना जाता था तथा डिजिटल व्यापार, और वैश्विक मूल्य श्रृंखला ने दोहा चक्र से बहुपक्षीय वार्ताओं में लगभग एक ठहराव का दौर आ गया, और इसका सबसे सफल घटक - विवाद समाधान - निष्क्रिय हो गया। बदलते गठबंधनों और

> जबकि अर्थशास्त्र का अनुशासन शुरू से ही इस धारणा पर आधारित रहा है कि संसाधन दुर्लभ हैं, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्रम के प्रतिफल की तुलना में पूंजी का प्रतिफल तेजी से बढ़ रहा है, उत्पादकता वृद्धि तेजी से रोजगार वृद्धि के आगे दौड़ रही है, विशेष रूप से कृत्रिम मेधा में तकनीकी प्रगति, और अंततः दुनिया को आपूर्ति के बजाय मांग ने बाधित किया है।

14 (ऑर्टिज़-ऑस्पिन और बेलटेकियन_यू) ऑर्टिज़-ओस्पिना, एस्टेबन एवं बेलटेकियन, डायना, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, अवर वर्ल्ड इन डाटा, दि ऑक्सफोर्ड-मार्टिन प्रोग्राम ओन ग्लोबल डेवेलपमेंट https://ourworldindata.org/trade-and-globalization.

क्षेत्रीय ब्लॉकों के माध्यम से वैश्विक व्यापार नियम तेजी से बहु-ध्रुवीय होते जा रहे हैं, जिन पर नए तरजीही बहुपक्षीय व्यापार समझौतों जैसे एएफसीएफटीए, सीपीटीपीपी औ आरसीईपी का वर्चस्व है।

ये वे चुनौतियाँ हैं जिनका तीनों अध्यक्षों को समाधान करने की आवश्यकता है। विकासशील देश इस तथ्य को मानते हैं कि युद्ध के बाद की अवधि में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के लिए उन पर दबाव डाला, तब वे उनके अधीन थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वैश्वीकरण से अधिक खतरा महसूस करती हैं और जहां घरेलू राजनीतिक भावना इसके विरुद्ध हो रही है।उन्नत अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण से अधिक खतरा महसूस करती हैं और घरेलू राजनीतिक भावना इसके इसके विरुद्द हो रही है। यह उन विकासशील देशों पर लागू होता है जो पिछले कुछ दशकों में व्यापार से हुए लाभ से अधिक लाभान्वित हुए हैं ताकि व्यापार को खुला रखने के कारण को आक्रामक रूप से उठाया जा सके। यहां तक कि भारत, जो प्रमुख विकासशील देशों के बीच सबसे अधिक अनिच्छुक व्यापार उदारवादी देश रहा है, ने भी देखा कि इसके विकास में नब्बे के दशक से व्यापार के खुलने पर तेजी आई और यह पिछले आधे दशक में यह फिर से भीतर की ओर पुन: सीमित होने से कम हो गया।[15]

जी-20 में विकासशील देशों द्वारा व्यापार को अब रक्षात्मक एजेंडे के बजाय आक्रामक एजेंडे के रूप में देखा जाना चाहिए। तीन अध्यक्ष विश्व व्यापार संगठन को पटरी पर लाने के लिए जी20 के भीतर आम सहमति बनाने के लिए कार्य करने की अच्छी स्थिति में हैं। ब्राजील के पास कृषि में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जिसका औद्योगिक माल में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जबकि भारत के पास सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण में ताकत है। विश्व व्यापार संगठन में पाँच प्रमुख ब्लॉकों के नेता, अर्थात् अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका सभी जी-20 के सदस्य हैं।

जलवायु के अनुकूल और जलवायु प्रतिरोधी अवसंरचना निवेश, विशेष रूप से परिवहन और बिजली अवसंरचना में, सभी जी20 देशों के लिए पारस्परिक हित का अन्य क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक स्तर पर अवसंरचना निवेश में 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता है[16], जिसमें अकेले एशिया में 27 बिलियन डॉलर शामिल है।[17] वर्तमान निवेश प्रवृत्तियों के आधार पर, 2030 तक वार्षिक निवेश ट्रिलियन डॉलर का लगभग एक तिहाई होने की आशा है।[18] सियोल में पांचवें शिखर सम्मेलन के समय से ही जी-20 ने निवेश पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। हालांकि, फोरम में इसे कभी भी अधिक महत्व प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि एमडीबी के पास पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं थे, और ऐतिहासिक रूप से निजी निवेश इस क्षेत्र में अल्प रिटर्न और जोखिम से ओतप्रोत रहा है।

---

15 भारत पिछले कुछ वर्षों से सीमा शुल्क बढ़ा रहा है, और इसकी हाल ही में 'आत्मनिर्भर भारत' की नीतिगत घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से प्रतिगामी माना जाता है।

16 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/

17 https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure-needs

18 https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf

यह चीन था जिसने इस संबंध में सबसे आगे बढ़कर 2013 और 2020 के बीच (सिल्क) बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के भाग के रूप में 130 विकासशील देशों में लगभग 770 बिलियन डॉलर का निवेश किया।[19] यह इसी अवधि के दौरान विश्व बैंक द्वारा उधार दी गई राशि ($ 354.2 बिलियन) से लगभग दोगुनी राशि है।[20]

बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए अमेरिका हालिया जी7 कार्बिस बे घोषणा में शामिल बिल्ड बैक बेटर (बीडब्ल्यू3) पहल के माध्यम से इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। हालाँकि, घोषणा में मौजूदा स्तरों से ऊपर तथा लक्षित धन के अलावा किसी अन्य राशि का कोई संकेत नहीं दिया गया था, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह कहाँ से आएगा। जापान और जर्मनी के अपवाद के साथ जी7 देशों में बचत-निवेश का बड़ा अंतर है, जबकि चीन इसके विपरीत है, जो अपनी अतिरिक्त बचत को बीआरआई में पुन:चक्रित करने में सक्षम है। जेआईसीए के माध्यम से जापान का अपना द्विपक्षीय बचत पुनर्चक्रण कार्यक्रम है जबकि दक्षिणी यूरोज़ोन देशों में जर्मनी का अतिरिक्त बचत वित्त घाटा है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बड़े विदेशी निवेश प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करना भी मुश्किल प्रतीत होता है, जब उसका अपना घरेलू बीडब्ल्यू-3 विधान विवादों से घिरा हुआ है, और कांग्रेस ने 3.55 ट्रिलियन डॉलर के मूल प्रस्ताव को 1.75 ट्रिलियन डॉलर तक आधा कर दिया है।[21] यह रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ही है कि भारत ने स्वयं को बीआरआई से बाहर रखा है, और तीन अध्यक्षों को निवेश और अवसंरचना के मुद्दों को संबोधित करते हुए अपनी अध्यक्षता के दौरान इन परस्पर विरोधी पहलों के दबाव को सावधानीपूर्वक सुलझाना होगा।

निवेश से निकटता से जुड़े मुद्दे सीमा पार पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाह के बढ़ते आकार और अस्थिरता से संबंधित हैं जो आरक्षित मुद्रा क्षेत्र में नई मौद्रिक नीतियों का ही बिखराव हैं। विकासशील देशों को इसे व्यापार एजेंडा परिप्रेक्ष्य से मुद्रा संबंधी व्यवस्था के रूप में देखे बिना संभावित रूप से अस्थिरकारी प्रवाह का प्रत्युत्तर देने के लिए आवश्यक नीतिगत स्थान की आवश्यकता है।

## ड. दबावकारी और उभरते आर्थिक मुद्दे

चल रहे एजेंडे, और विशेष रूप से स्वास्थ्य-देखरेख, वैश्विक आर्थिक शासन, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और निवेश के चार प्रमुख क्षेत्रों के अलावा, तीन अध्यक्षों से अपेक्षा की जा सकती है कि वे अपने अध्यक्षता के दौरान प्रचलित आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उभरते आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने पर भी ध्यान दें ताकि उन्हें महामारी के बाद के युग में एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था के वाहक के रूप में देखा जा सके।

आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना और महामारी के मद्देनजर वैश्विक खाद्य असुरक्षा को संबोधित करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बहाल करना और ऊर्जा की कीमतों को कम

19 https://greenfdc.org/investments-in-the-belt-and-road-initiative-bri/ The OECD's estimate is around $ 1 trillion over a ten year period from 2017. https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf

20 WBG Finances - IBRD/IDA Summary (worldbank.org)

21 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/10/28/president-biden-announces-the-build-back-better-framework/
https://www.msn.com/en-in/news/world/sanders-says-the-white-house-s-1-75-trillion-build-back-better-framework-is-by-far-the-most-significant-piece-of-legislation-ever-passed-in-the-world-to-tackle-the-climate-crisis/ar-AAQ3OaM?ocid=uxbndlbing

यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल तथा जी7 और चीन-रूस धुरी के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से निपटने के संदर्भ में विकासशील देशों की निरंतर अध्यक्षता जी20 की क्षमता इसके लचीलेपन और प्रभावशीलता का परीक्षण करेगी।

करना, जो स्थिर मुद्रास्फीतिकारी दबाव पैदा कर रहे हैं, और आरक्षित मुद्रा क्षेत्र केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत प्रतिलोमन से उत्पन्न परिणामी मौद्रिक नीति के अनुषंगी मुद्दों को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से यूएस फेडरल रिजर्व, कुछ ऐसे दबावकारी आर्थिक मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। एफएमसीबीजी जी-20 कार्यकारी ग्रुप द्वारा मजबूत सतत और संतुलित विकास पर विकसित कार्य योजनाएँ जिसकी अध्यक्षता कनाडा के साथ भारत द्वारा की जाएगी, का लाभ तीन अध्यक्षों द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। कार्य योजना एक लक्षित तारीख तक कोविड-19 टीकों की दो खुराकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त प्रदान करने के लिए जी20 देशों द्वारा प्रतिबद्धताओं की निगरानी भी कर सकती है और ब्रिस्बेन शिखरसम्मेलन की तर्ज पर आईएमएफ द्वारा वर्तमान में अनुमानित स्तरों से परे वैश्विक विकास का प्रयास करने और उसे बढ़ाने के लिए देश की विशिष्ट कार्रवाइयों का समन्वय कर सकती है।[22]

अध्यक्षताएं जी-20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक फोरम के भीतर इस बात पर विचार-विमर्श शुरू कर सकती है कि नई आर्थिक चुनौतियों जैसे बढ़ती असमानता, रोजगाररहित विकास और विशेष रूप से युवा बेरोजगारी के साथ-साथगिरती जन्म दर, और बढ़ती हुई वृद्धावस्था गरीबी जैसी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। जबकि अर्थशास्त्र का विषयक्षेत्र प्रारंभ से ही इस धारणा पर आधारित रहा है कि जबकि अर्थशास्त्र का विषयक्षेत्र प्रारंभ से ही इस धारणा पर आधारित रहा है कि संसाधन दुर्लभ हैं, अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्रम के प्रतिफल की तुलना में पूंजी का प्रतिफल तेजी से बढ़ रहा है, उत्पादकता वृद्धि तेजी से रोजगार वृद्धि के आगे दौड़ रही है, विशेष रूप से कृत्रिम मेधा में तकनीकी प्रगति, और अंततः दुनिया को आपूर्ति के बजाय मांग ने बाधित किया है। कॉरपोरेट पहल पर वैश्विक न्यूनतम कर लगाए गए हैं, यह इन संरचनात्मक परिवर्तनों की प्रतिक्रिया है, क्योंकि कर संरचना को श्रम से पूंजी में तेजी से स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है। अधिक कट्टरपंथी समाधानों पर बहस हो रही है, जैसे विरासत कर और सार्वभौमिक बुनियादी आय। जी-20 को इस तरह के अत्याधुनिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है।

अंत में, बहुपक्षवाद का मौजूदा संकट भी प्रतिक्रिया में उन परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में बहुपक्षवाद पर पुनर्विचार करने का एक अवसर है, जिन्हें 1648 में वेस्टफेलिया की संधि, जिस पर बहुपक्षीय सहयोग की वर्तमान रूपरेखा आधारित है, के बाद से नए हितधारकों के उदय और सीमा पार होने वाले बिखरावों में देखा गया है।

वेस्टफेलियन प्रणाली, जिस पर राष्ट्र राज्यों का प्रभुत्व था में न तो गैर-सरकारी संगठन थे और न ही नागरिक समाज वाले प्रमुख देश। तथापि, कुछ बड़े

22 http://www.g20.utoronto.ca/2021/211013-finance-annex1.html

गैर-सरकारी संगठनों, फाउंडेशनों और गैर-राज्य कर्ताओं की पहुंच, संसाधन और प्रभाव अब कई राष्ट्र राज्यों से मेल खाते हैं और उससे भी अधिक है।[23] टीएनसी के बढ़ते प्रभाव तथा व्यापार, श्रम, जलवायु परिवर्तन, अवसंरचना और वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में संप्रभुता के बीच तालमेल और विरोधाभास दोनों विद्यमान हैं। यहां तक कि टीएनसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आधुनिक तकनीक को पृथ्वी पर हर देश तक निर्बाध रूप से प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, घरेलू राजनीति की मजबूरियां समय-समय पर राष्ट्र राज्यों को अपनी पकड़ ढीली करने और राष्ट्रवादी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं।

इसी प्रकार, प्रमुख नागरिक समाज के हस्तक्षेप अब भूख (जैसे भारत की लंगर प्रणाली), जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को संबोधित करने, छोटे उद्यमों को वित्तपोषित करने (जैसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की पहल) और ऐसे संकटों पर प्रतिक्रिया करने जैसे विविध क्षेत्रों में राज्य के प्रयासों का पूरक बन गए हैं जो पहले पूरी तरह से संप्रभु कार्रवाई के दायरे में थे। गैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुपक्षीय निर्णय लेने में हितधारकों के रूप में मान्यता देने से जी-20 द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है। यह विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने का मामला है क्योंकि अधिकांश वित्तीय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण गैर-राज्य कर्ताओं की ओर से आने की संभावना है।

बहुपक्षीय सहयोग में नए हितधारकों की भागीदारी के लिए जी-20 को एक नयाचार विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इस मुद्दे पर बहस करने के लिए जी-20 एक उचित मंच है।

## 7

# निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

2008 में वाशिंगटन डीसी में पहले जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के बाद से, जी-20 ने कुछ उल्लेखनीय सफलताएँ हासिल की हैं, जैसे दूसरी महामंदी को रोकने के लिए व्यापक आर्थिक नीति समन्वय, वित्तीय विनियामक सुधार, अपनी बात रखने का पुनर्वितरण और बीडब्ल्यूआई में प्रतिनिधित्व, बाज़ारों को खुला रखना, चीन को अधिक बाजार निर्धारित विनिमय दर की ओर धकेलना, कर नीति समन्वय जिसमें गैर-अनुपालन वाले अधिकारक्षेत्र के विरुद्ध जाना शामिल है, बीडब्ल्यूआई के संसाधनों को बढ़ाना, अस्थिर पूंजी प्रवाह से निपटने पर एक नई सहमति, ईएमडीई द्वारा एफएटीएफ अनुपालन (भ्रष्टाचार विरोधी डब्ल्यूजी)। भारत ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर कार्य समूह में और मजबूत सतत और संतुलित विकास के ढांचे पर प्रमुख कार्य समूह के सह-अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई है । हालांकि ईएमडीई और एलडीसी में विकास और अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाना एक बड़ी निराशा बनी हुई है।

23 (Mathews 1997) Mathews, J.T, Power Shift. Foreign Affairs, 76(1), 1997. pp. 50-66

जी-20 समूह की विश्वसनीयता और भविष्य अब अपने स्वयं के महत्वाकांक्षी और तेजी से बढ़ते एजेंडे को वितरित करने की क्षमता की धारणा पर काफी हद तक टिका हुआ प्रतीत होता है, जो कि संकट की स्थितियों में अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर वर्तमान में राष्ट्र राज्य के आगे रह सकता है। यूक्रेन में युद्ध से उत्पन्न आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल तथा जी7 और चीन-रूस धुरी के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से निपटने के संदर्भ में विकासशील देशों की निरंतर अध्यक्षता जी-20 की क्षमता इसके लचीलेपन और प्रभावशीलता का परीक्षण करेगी।

जी-20 नेताओं की घोषणाएं और कार्यकारी समूह की सिफारिशें आम सहमति के दस्तावेज हैं, लंबी, कठोर वार्ताओं का उत्पाद हैं, जिनके शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन प्राय: अंतर्निहित तनाव और भू-राजनीतिक अंतर्धाराओं को छिपा देता है। ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के सुधार पर विशेष रूप से यूरोपीय और बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। कम कर दरों के साथ अपेक्षाकृत हल्के ढंग से विनियमित बाजार पूंजीवाद के एंग्लो-सैक्सन मॉडल और अधिक स्थिर, स्वचालित स्थिरकों और उच्च कर दरों के आधार पर कड़ाई से विनियमित सामाजिक पूंजीवाद के बीच सूक्ष्म अंतर भी हैं, जिसके कारण विवेकाधीन राजकोषीय प्रोत्साहन और आवश्यक विनियामक सुधार की सीमा पर अलग-अलग धारणाएं विद्यमान हैं। विकसित देशों में नियामक सुधार प्राथमिकताओं को विकासशील देशों में विकासात्मक प्राथमिकताओं के विरुद्ध खड़ा किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक असंतुलन, विनिमय दरों और वैश्विक आरक्षित मुद्रा पर तनाव है। वैश्विक मैक्रो-आर्थिक नीतियों को समन्वयित करने, संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने और वैश्विक परिणामों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए जी20 के नए संस्थागत ढांचे के रूप में उभरने के लिए इन मतभेदों को सुसंगत बनाने की आवश्यकता है।

विश्व बैंक, आईएमएफ और वित्तीय स्थिरता बोर्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और विनियामक निकायों में शासन सुधार जी-20 के निर्देशन में तेजी से विकासशील होने वाले प्रमुख देशों को जी7 और ओईसीडी देशों के वर्चस्व वाली युद्धोपरांत बहुपक्षीय आर्थिक संस्थाओं में समान भागीदार के रूप में समायोजित करने के लिए किए गए हैं। तथापि, जब तक इन देशों को वैश्विक शासन की महत्वपूर्ण संस्थाओं में पर्याप्त रूप से जी-20 की समान रीति से समायोजित नहीं किया जाता है, तब तक जी-20 देशों को यूरोपीय संघ, या यहां तक कि ओईसीडी की तर्ज पर संप्रभु स्थान प्रदान करते हुए देख पाना मुश्किल है। हाल ही में जी-20 के तत्वावधान में किए गए विश्व बैंक और आईएमएफ में महत्व और भागीदारी सुधार अब तक प्रमुख विकासशील देशों को वैश्विक परिणामों के लिए समान या महत्वपूर्ण रूप से अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत मामूली और अपर्याप्त हैं।

# जी-20 और जलवायु परिवर्तन

## वैश्विक सहयोग के लिए शक्ति का नेतृत्व

मंजीव सिंह पुरी एवं
दामोदर पुजारी

दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, जी-20 के नेताओं के शिखरसम्मेलनों ने 2008 में अपनी यात्रा शुरू की थी। तब उनका मुख्य उद्देश्य दुनिया को जकड़ रही आर्थिक मंदी से बचाना और भविष्य के लिए ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक तंत्र की स्थापना करना था। तब तक, जलवायु परिवर्तन को बड़े आर्थिक विविक्षा वाली एक बड़ी वैश्विक चुनौती के रूप में भी स्पष्ट रूप से पहचान लिया गया था और यहां तक कि मानव जाति के लिए एक अस्तित्ववादी आयाम भी विद्यमान था। इस संबंध तत्काल कार्रवाई समय की आवश्यकता थी, फिर भी वाशिंगटन डीसी में 2008 में आयोजित पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और दुनिया के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी घोषणा में कहा गया था:

*"हम ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, विधि के शासन और आतंकवाद, गरीबी और बीमारी के खिलाफ युद्ध जैसी अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं"।*

राष्ट्रपति जॉर्ज बुश उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे और कई लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन के इस बहुत सीमित संदर्भ को समझा जा सकता था क्योंकि उस समय अमेरिका का मुख्य प्रयास प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शमन (जीएचजी उत्सर्जन को कम करने) की कार्रवाई में शामिल करना था, भले ही इससे उनकी विकास अनिवार्यताओं पर प्रभाव पड़ता। अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं हुआ था जिसके तहत विकसित देशों ने उत्सर्जन में पर्याप्त कमी लाने के लक्ष्यों को निर्धारित किया था और उसके सभी प्रयास *सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (सीबीडीआर)* के मार्गदर्शी यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज)सिद्धांत को को कम करने, यदि समाप्त न हो सकें, की ओर निर्देशित थे। इसने औद्योगीकरण के बाद से उनके उत्सर्जन के लिए विकसित दुनिया की वैज्ञानिक रूप से सिद्ध जिम्मेदारी को भी दूर किया।

शब्दों के स्थान पर, कार्रवाई रूप में, जलवायु के संबंध में की गई कार्रवाई में भी विकसित दुनिया के आधिपत्य को बनाए रखने की दिशा थी। यह स्थिति अभी तक बनी हुई है।

जी-20 में, विकसित दुनिया ने भी वैश्विक बोझ में हिस्सेदारी के लिए प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने की मांग की। संक्षेप में, चीन के स्पष्ट उदय के साथ, यूरोप (जर्मनी पढ़ें) की कुछ मदद से

इस संबंध तत्काल कार्रवाई समय की आवश्यकता थी, फिर भी वाशिंगटन डीसी में 2008 में आयोजित पहले जी-20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और दुनिया के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी घोषणा में कहा गया था: *"हम ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, विधि के शासन और आतंकवाद, गरीबी और बीमारी के खिलाफ युद्ध जैसी अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं"।*

जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में यूएस-चीन सामंजस्य अभी भी जारी है।

अमेरिका-चीन सामंजस्य शुरू हो गया था। निश्चित रूप से, जाँच और नियंत्रण के उपकरण विद्यमान थे, जिसमें भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के अगले समूह को जोड़ना शामिल था ताकि इसे और अधिक 'समावेशी' बनाया जा सके। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में यूएस-चीन सामंजस्य अभी भी जारी है।

2009 में, राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्यभार संभाला गया और एक स्वीकृति के साथ एक लोकतांत्रिक प्रशासन बहुपक्षवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रतिबद्धता सामने आई। सीबीडीआर ने अब 2009 की शुरुआत में लंदन में आयोजित दूसरे जी-20 की सरल घोषणा में अपना मार्ग तलाश कर लिया:

*"हम साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत के आधार पर अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन के खतरे को दूर करने और दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में समझौते तक पहुंचने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं"।*

वास्तविकता में, ये वचन मात्र ही थे।

कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी) से ठीक पूर्व 2009 के अंत में अगला जी-20 शिखर सम्मेलन पिट्सबर्ग यूएसए में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर एक मजबूत संकल्प व्यक्त करते हुए, शिखर सम्मेलन ने जी-20 की घोषणा की *"हम खतरनाक जलवायु परिवर्तन के खतरे को दूर करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लेते हैं। हम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के उद्देश्य, प्रावधानों और सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं, जिसमें आम लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां शामिल हैं। .....हम यूएनएफसीसीसी वार्ता के माध्यम से कोपेनहेगन में समझौते तक पहुंचने के लिए अन्य पक्षों के सहयोग से अपने प्रयासों को तेज करेंगे। समझौते में शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण शामिल होना चाहिए"*। वित्त मंत्रियों को कार्य सौंपा गया कि वे "*कोपेनहेगन में यूएनएफसीसीसी वार्ताओं में विचार किए जाने वाले संसाधन के रूप में प्रदान किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण के संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला*" के साथ रिपोर्ट करें तथा जलवायु

पिट्सबर्ग जी-20 घोषणा मूल रूप से जलवायु परिवर्तन पर जी-20 की स्थिति के लिए सिद्धांत निर्धारित करती है, जिसने विकासशील देशों को नाममात्र रूप से भेदभाव के साथ स्वीकार किया लेकिन सभी देशों द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग की। जलवायु वित्त प्रदान करने और नवाचार पर सहयोग को कम करके आंकना भी एक विशेषता रही है, हालांकि यह पुन: एक अच्छी तरह से सोची समझी भाषा में थी।

वित्त के संबंध में भी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जहां विकासशील देशों को 2010-2012 के संबंध में वित्त के लिए विकसित देशों द्वारा प्रतिबद्धता के रूप में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2020 तक आने वाले दशक के लिए प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था।.

और हरित वित्तपोषण को विश्व बैंक के एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण विषय के रूप में रेखांकित किया गया था।

पिट्सबर्ग जी-20 घोषणा मूल रूप से जलवायु परिवर्तन पर जी-20 की स्थिति के लिए सिद्धांत निर्धारित करती है, जिसने विकासशील देशों को नाममात्र रूप से भेदभाव के साथ स्वीकार किया लेकिन सभी देशों द्वारा कार्रवाई किए जाने की मांग की। जलवायु वित्त प्रदान करने और नवाचार पर सहयोग को कम करके आंकना भी एक विशेषता रही है, हालांकि यह पुन: एक सुविचारित भाषा में थी।

जी-20 में विकसित दुनिया द्वारा एक और बल प्रदान किया गया था जिसे पिट्सबर्ग में फिप्स कंजर्वेटरी की पर्यावरण अनुकूल सुविधा में मध्याहन-भोज के दौरान ठोस रूप दिया गया था। *"सबसे निर्धन लोगों के लिए लक्षित सहायता प्रदान करते हुए मध्यम अवधि की अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध और युक्तिसंगत बनाना। अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी व्यर्थ खपत को प्रोत्साहित करती है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को कम करती है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश को बाधित करती है और जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के प्रयासों को कमजोर करती है।"*

तब से, यह जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के खिलाफ जी-20 को चलाने वाले आवर्ती विषयों में से एक रहा है। इसे आगे इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि ये सब्सिडी बाजारों को विकृत करती हैं, अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय घाटे को व्यापक करती हैं और स्वच्छ ईंधन को अपनाने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं जिससे जीवाश्म ईंधन सब्सिडी एक प्रतिकूल वैश्विक नीति विकल्प बन जाती है। इतना सब, तब भी है जब विकसित दुनिया विभिन्न रूपों में अपनी ईंधन सब्सिडी जारी रखे हुए है।

आइए देखें कि 2009 से जी-20 में जलवायु परिवर्तन पर घटनाक्रम कैसे आगे बढ़े, जो कोपेनहेगन में सीओपी में भाग लेने वाले और यहां तक कि वार्ताओं में भाग लेने वाले विश्व नेताओं के साथ वैश्विक जलवायु वार्ताओं का निर्णायक वर्ष था।

यू.एस. में प्रशासन में परिवर्तन किए जाने के बावजूद, देश शेष विकसित विश्व के सक्षम समर्थन के साथ भेदभाव को खत्म करने में मजबूत बना रहा। वास्तव में, राष्ट्रपति ओबामा ने स्वयं आधारभूत समूह [भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका] के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की जिससे कि सभी देश के अपने जलवायु कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "सत्यापित" करने के लिए सहमत हो सकें, भले ही यह यूएनएफसीसीसी और इसके क्योटो प्रोटोकॉल के अनुरूप भी क्यों न हो, जो उस समय लागू था। चीनियों के कड़े विरोध के बावजूद, वे अंततः तभी नरम हुए जब प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हें बताया कि भारतीय संसद संप्रभुता के इस तरह के उल्लंघन को

बर्दाश्त नहीं करेगी।

जहाँ तक विकासशील देशों का संबंध है, नेताओं ने "परामर्श" की अभिव्यक्ति पर समझौता किया और 2010 में कैनकन में अगले सीओपी में, विकसित देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन और समीक्षा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण की एक प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की गई।

वित्त के संबंध में भी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जहां विकासशील देशों को 2010-2012 के संबंध में वित्त के लिए विकसित देशों द्वारा प्रतिबद्धता के रूप में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2020 तक आने वाले दशक के लिए प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। तथापि, जैसे ही इस तथ्य को अंतिम रूप दिया जा रहा था, एक सलाहकार ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और स्पष्ट रूप से असहज राष्ट्रपति ओबामा को प्रस्ताव को इस आधार पर रोकना पड़ा कि विशिष्ट धन संबंधी मामले कांग्रेस के विशेषाधिकार थे और उनके नियंत्रण में नहीं थे।

इसके उपरांत कोपेनहेगन समझौते में "30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने" की अभिव्यक्ति शामिल हुई और तब से विकसित देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले जलवायु वित्तपोषण पर 'बातचीत करना' ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। वस्तुतः, ग्लासगो जलवायु संधि (2021 में यूएनएफसीसीसी सीओपी) के साथ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष प्रदान करने का दीर्घकालिक वादा अभी भी नजर नहीं आता, एक दशक से भी अधिक समय बाद, विकसित देशों की प्रतिबद्धता के मद्देनजर *'खेद'* के अतिरिक्त उनकी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है!

अगली दो जी-20 बैठकें, दोनों ही वर्ष 2010 में टोरंटो और सियोल में आयोजित हुई, जिनमें जलवायु परिवर्तन पर बहुत कम काम किया गया, लेकिन इनमें जलवायु परिवर्तन के वित्तपोषण पर मेक्सिको के राष्ट्रपति फेलिप काल्डेरोन और इथियोपिया के प्रधानमंत्री मेलेस जेनावी से विशेष ब्रीफिंग सुनी गई।

2011 में कैंस (फ्रांस) में अगले जी-20 शिखरसम्मेलन में इस मुद्दे से निपटने के लिए डेटा को बेहतर बनाने के फैसले के साथ जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के मुद्दे पर सामूहिक वापसी देखी गई।

2012 में मेक्सिकोवासियों द्वारा अध्यक्षता पद ग्रहण करने पर जी-20 में परिस्थितियां बदल गईं। लॉस काबोस शिखरसम्मेलन ने जलवायु वित्त पर एक समूह बनाने और संसाधनों को जुटाने के तरीके खोजने के लिए जलवायु वित्त एजेंडा को कुछ शक्ति प्रदान करने के लिए आगे कार्यवाही की। इसके अलावा, ग्रीन रिकवरी और संधारणीय वित्त तंत्र पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, 2012 तक हरित विकास को समर्थन देने के लिए बहुपक्षीय विकास निकायों के पुनर्गठन और पुनर्वित्त की आवश्यकता बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी और लॉस काबोस में जी-20 की कार्रवाई ने हरित विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त प्रदान करने के लिए वैश्विक वित्तीय वास्तुकला के पुनर्गठन के लिए उपाय करने की मांग की थी।

लॉस काबोस शिखरसम्मेलन ने जलवायु वित्त पर एक समूह बनाने और संसाधनों को जुटाने के तरीके खोजने के लिए जलवायु वित्त एजेंडा को कुछ शक्ति प्रदान करने के लिए आगे कार्यवाही की।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में पेरिस में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

अन्य शिखर सम्मेलनों की भांति ही, लॉस काबोस शिखरसम्मेलन ने वस्तुत: समूह के घोषणा संबंधी बल को निर्देशित करने में मेजबानों की रुचि को स्पष्ट रूप से दर्शाया। यह तथ्य सेंट पीटर्सबर्ग में 2013 में आयोजित आगामी जी-20 शिखरसम्मेलन में यह सबसे अच्छी तरह से देखी गई, जहां रूसियों ने यह सुनिश्चित किया था कि घोषणा ने स्वयं को जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के एक बहुत ही संकीर्ण समूह तक सीमित कर लिया है और जलवायु चुनौती से निपटने के लिए यूएनएफसीसीसी के तहत एक विधिक साधन संबंधी समर्थन विकसित करने की अवश्यकता होगी।

ब्रिसबेन (ऑस्ट्रेलिया) में 2014 जी-20 शिखर सम्मेलन की घोषणा में सभी द्वारा कार्रवाई किए जाने का दिशात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य था, जिसमें उल्लेख किया गया था *"हम 2015 में पेरिस में पक्षकारों के 21वें सम्मेलन (सीओपी-21) में सभी पक्षों पर लागू होने वाले एनएफसीसीसी के तहत नयाचार, अन्य कानूनी साधन या कानूनी बल के साथ एक सहमत परिणाम को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।*

*हम उन पक्षकारों को प्रोत्साहित करते हैं जो सीओपी-21 (2015 में पेरिस में आयोजित होने वाले) से पहले अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित इच्छित योगदान के बारे में बताने के लिए तैयार हैं।*

यह 2015 में एंटाल्या, तुर्की में पुन:प्रवर्तित किया गया था, हालांकि वहां सीबीडीआर सिद्धांत कम मात्र वचन ही प्रतीत होते थे: *"हम पेरिस में एक महत्वाकांक्षी समझौते तक पहुँचने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को दर्शाती है। हम पुन:पुष्टि करते हैं कि यूएनएफसीसीसी जलवायु परिवर्तन पर बातचीत करने के लिए प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी निकाय है। हम स्वागत करते हैं कि सभी जी20 देशों सहित 160 से अधिक दलों ने यूएनएफसीसीसी को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) प्रस्तुत किया है, और अन्य को भी पेरिस सम्मेलन से पहले ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।*

2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी सीओपी एक परिवर्तनकारी सम्मेलन था जहां वास्तविक प्रभाव में भेदभाव में कमी को देखा गया था और जिसने सभी देशों को *राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं* (एनडीसी) के लिए प्रतिबद्ध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित विश्व चीनियों के साथ इच्छुक भागीदारों के रूप में शामिल होते प्रतीत हुआ। वास्तव में, यह परिवर्तन अमेरिका और चीन द्वारा 2014 में जलवायु साझेदारी की घोषणा के बाद होता दिखाई दिया। इसे 2021 में फिर से देखा जाना था।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में पेरिस में

एक प्रमुख भूमिका निभाई।

परंतु इतिहास के बदलाव की विडंबनाएं जारी रहीं।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और 2016 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सत्ता में लाए और उनके पहले कार्यों में से एक था अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर निकालना। उसके बाद से, अगले चार वर्षों के लिए, जी-20 मूल रूप से अमेरिका के साथ जलवायु परिवर्तन पर एक विभाजित समूह था, संभवत: यह पेरिस समझौते का व्यापक तिरस्कार ही था [हैम्बर्ग (2019) से जी -20 घोषणा में सुव्याख्यायित): *"संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस समझौते से हटने के अपने फैसले को दोहराता है क्योंकि यह अमेरिकी श्रमिकों और करदाताओं को नुकसान पहुंचाता है।"* अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका वास्तविक कारण न केवल विकास को सीमित करने की अनिच्छा थी बल्कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती करने की प्रतिबद्धता भी थी।

दिलचस्प है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं, कि 2019 की अमेरिकी प्रतिक्रिया ने जर्मन नेतृत्व के तहत अन्य देशों से एक सुदृढ़ प्रतिक्रिया प्राप्त की: *"अन्य जी-20 सदस्यों के नेताओं का कहना है कि पेरिस समझौता अपरिवर्तनीय है... .. हम पेरिस समझौते के प्रति अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता की पुन:पुष्टि करते हैं, और हम सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के अनुसार तेजी से इसके पूर्ण कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में और इसके लिए हम जी20 हैम्बर्ग विकास के लिए जलवायु और ऊर्जा कार्य योजना से सहमत हैं।*

पेरिस में यूएनएफसीसीसी सीओपी के बाद 2016 में जी-20 शिखर सम्मेलन हांग्जो में आयोजित किया गया था और अमेरिका के बाहर होने के साथ, इसने चीनियों को जलवायु परिवर्तन पर एक नैतिक उच्च आधार लेने और पेरिस समझौते के लिए जोर देने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने हरित वित्त के लिए संस्थागत और बाजार बाधाओं की पहचान करने और हरित निवेश के लिए निजी पूंजी की गतिशीलता बढ़ाने के विकल्पों की तलाश करने के लिए हरित वित्त अध्ययन समूह भी गठित किया ।

ओसाका (2019) जी-20 शिखरसम्मेलन ने वित्त संबंधी मामलों पर पुन: ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया, *"हम सतत विकास के लिए समावेशी वित्त को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जिसमें सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण जुटाना और उनके बीच संरेखण और साथ ही साथ कम उत्सर्जन और लचीले विकास के लिए क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में नवाचार शामिल है ... हम पेरिस समझौते के अनुसार शमन और अनुकूलन दोनों के संबंध में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के महत्व पर जोर देते हैं।"*

इसके बाद, रियाद (2020), जो कोविड़-19 महामारी के मद्देनजर एक आभासी शिखरसम्मेलन था, में जलवायु परिवर्तन पर

सभी जी20 शिखरसम्मेलनों में, 2021 की इटली की जी-20 अध्यक्षता ने जलवायु परिवर्तन पर सबसे मौलिक घोषणा की।

पर एक गैर-बातचीत घोषणा और एक चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था (सीसीई) के लिए एक समर्थन जारी किया गया था।

लेकिन इतिहास में बदलाव आते रहे और 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की अध्यक्षता संभाली और वे इसे पेरिस समझौते में वापस ले आए। बेशक, सत्ता के आधिपत्य के लिए प्रयासों में कोई बदलाव नहीं आया। एक बार फिर, विभेदीकरण और पिछले उत्सर्जन के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया की गई, लेकिन सभी देशों के लिए 2050 तक निवल शून्य जीएचजी उत्सर्जन हासिल करने का आह्वान किया गया। रोम, इटली में जी-20 शिखरसम्मेलन ग्लासगो में यूएनएफसीसीसी सीओपी से पूर्व इस पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था और इसने एक बार फिर वैश्विक नेताओं को एक सीओपी में अभिसरित होते हुए देखा।

सभी जी-20 शिखरसम्मेलनों में, 2021 की इटली की जी-20 अध्यक्षता ने जलवायु परिवर्तन पर सबसे मौलिक घोषणा की। घोषणा में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है, जिसमें जलवायु शमन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और जलवायु वित्त के लिए कर उपकरणों का उपयोग शामिल है। अर्जेंटीना की अध्यक्षता के तहत 2018 में गठित जी-20 जलवायु वित्त अध्ययन समूह को इसके जनादेश के अनुसार विस्तारित किया गया था और अब इसे विकास का काम सौंपा गया है। इसलिए, समूह का नाम बदलकर संधारणीय वित्त अध्ययन समूह (एसएफएसजी) कर दिया गया है। समूह को विकासशील, जलवायु केंद्रित जी-20 स्थायी वित्त रोडमैप, स्थिरता रिपोर्टिंग में सुधार, स्थायी निवेश की पहचान करने और पेरिस समझौते के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को संरेखित करने के लिए भी अधिदेशित किया गया था।

इतालवी अध्यक्षता ने जी-20 कार्य योजना में ग्रह की रक्षा के लिए समर्पित एक नए स्तंभ की शुरुआत भी की। जलवायु परिवर्तन को अब वैश्विक चुनौतियों में से एक के रूप में नहीं देखा जा रहा था, बल्कि वैश्विक आर्थिक संरचना की सुरक्षा के लिए इसके वृहद-आर्थिक और राजकोषीय प्रभावों का आकलन किया जा रहा था।

अत: रोम से प्रासंगिक पाठ, हालांकि वे कुछ अधिक लंबाई के हैं, इसके पूर्ण महत्व को दर्शाने के लिए उद्धृत किए जाने आवश्यक हैं:

*2021 के अंत तक, यह लगभग स्पष्ट हो गया था कि विकसित विश्व प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर का प्रतिबद्ध जलवायु वित्त नहीं जुटा सकती थी। यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन की ग्लासगो अध्यक्षता में प्रस्तुत जलवायु वितरण लक्ष्य केवल 2023 तक ही प्राप्त किया जा सकता है। अत: जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय*

*ससाधन जुटाने और उनको सुरक्षा के लिए* जी-20 *को अपने प्रयासों में वृद्धि करनी होगी।*

घोषणा में जी-20 द्वारा पुन:पुष्टि की गई: *"यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता, सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर, इस महत्वपूर्ण दशक के दौरान शमन, अनुकूलन और वित्त के क्षेत्रों में कार्रवाई करना, जो विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत को दर्शाता है। हम वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और 2030 एजेंडा की उपलब्धि को सक्षम करने के साधन के रूप में भी, इसे पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।*

*हम मानते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव 2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में बहुत कम हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस को पहुंच के भीतर रखने के लिए सभी देशों द्वारा सार्थक और प्रभावी कार्यों और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी, जिसे अलग-अलग दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे स्पष्ट राष्ट्रीय मार्गों के विकास के माध्यम से जो लघु और मध्यम अवधि के लक्ष्यों के साथ दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा को संरेखित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ और सतत विकास के संदर्भ में वित्त और प्रौद्योगिकी, सतत और जिम्मेदार खपत और उत्पादन सहित समर्थन, महत्वपूर्ण समर्थकारी के रूप में हासिल किए जाने का प्रयास किया जाएगा। हम एक सफल सीओपी-26 की प्रतीक्षा कर रहे हैं।*

*इस प्रयास में, जैसा आईपीसीसी आकलन द्वारा सूचित किया गया है, मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास वैश्विक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या कार्बन तटस्थता हासिल करने की प्रमुख प्रासंगिकता और पेरिस समझौते के लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आवश्यक वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए हम शमन, अनुकूलन और वित्त के क्षेत्र में अपने कार्यों में तेजी लाएंगे। तदनुसार, यह स्वीकार करते हुए कि जी-20 सदस्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, हम नवीनतम वैज्ञानिक विकास और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप, इस दशक में आगे की कार्रवाई करने और, जहां आवश्यक हो, हमारे 2030 एनडीसी तैयार करने, लागू करने, अद्यतन करने और बढ़ाने और लंबी अवधि की ऐसी रणनीतियाँ तैयार करने के लिए के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो मानवजनित उत्सर्जन के बीच संतुलन की उपलब्धि के अनुरूप स्पष्ट और पूर्वानुमेय मार्ग निर्धारित करती हैं और मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास ऐसे उत्सर्जनों को विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय द्वारा हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनमें चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था, सामाजिकआर्थिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकियां और बाजार विकास, और सबसे कुशल समाधानों को बढ़ावा देना शामिल है।*

*हम आज तक किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हैं, जिसमें जी20 सदस्यों द्वारा शुद्ध शून्य और*

*कार्बन तटस्थता प्रतिबद्धताओं और नए और महत्वाकांक्षी एनडीसी और एलटीएस शामिल हैं, और जो सीओपी-26 में आने वाले हैं।*

*जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया भर में अनुभव किए जा रहे हैं, विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों द्वारा। हम अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर बल देते हैं और अनुकूलन संचार प्रस्तुत करेंगे। हम विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनीकरण के लिए वित्त के प्रावधान के साथ संतुलन हासिल करने की दृष्टि से अनुकूलन वित्त को बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, जिसमें राष्ट्रीय रणनीतियों, प्राथमिकताओं और जरूरतों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध धन तक पहुंचने के लिए तंत्र, शर्तों और प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना शामिल है। हम विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020 तक और सालाना 2025 तक संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने के लक्ष्य के लिए विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सार्थक शमन कार्यों और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में स्मरण करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं, तथा जितनी जल्दी हो सके उस लक्ष्य को पूर्णत: हासिल करने के महत्व पर बल प्रदान करते हैं।*

*इस संबंध में, हम जी-20 के कुछ सदस्यों द्वारा 2025 तक अपने समग्र अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक जलवायु वित्त योगदान में वृद्धि और सुधार के लिए की गई नई प्रतिबद्धताओं का स्वागत करते हैं और दूसरों से नई प्रतिबद्धताओं की प्रतीक्षा करते हैं। हम जलवायु वित्त वितरण योजना पर ध्यान देते हैं, जो ओईसीडी के अनुमानों के आधार पर दिखाती है कि लक्ष्य 2023 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।*

*हम सतत विकास और प्रयासों के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से गरीबी का उपशमन करने के लिए पेरिस समझौते का भी याद स्मरण करते हैं और यह कि उसका एक लक्ष्य निम्न जीएचजी उत्सर्जनों और जलवायु-अनुकूल विकास के प्रति एक मार्ग के साथ वित्त प्रवाह को निरंतर बनाना है। हम उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संधाराणीय प्रतिपूर्ति और संक्रमण रणनीतियों, एनडीसी और दीर्घकालिक कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीतियों का समर्थन करने के लिए महत्वाकांक्षी समय-सीमा के भीतर पेरिस समझौते के साथ संरेखण को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा की उपलब्धि का समर्थन करना जारी रखते हुए, अपने शासनादेशों और आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुरूप, निजी वित्त जुटाने की योजना तैयार करने के लिए एमडीबी सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करते हैं।*

*हम राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपने एनडीसी का सम्मान करते हुए अपने सामूहिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम स्वीकार करते हैं कि मीथेन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार यह स्वीकार करते हैं कि इसकी कमी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को सीमित करने के सबसे तेज़, सबसे व्यवहार्य और सबसे लागत प्रभावी तरीकों में से एक हो सकती है। हम इस संबंध में विभिन्न संस्थानों के योगदान का स्वागत करते हैं और मीथेन पर विशिष्ट पहलों पर ध्यान देते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (आईएमईओ) की स्थापना भी शामिल है। हम जीएचजी इन्वेंट्री के समर्थन में डेटा संग्रह, सत्यापन और माप में सुधार करने और उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक डेटा प्रदान करने के लिए सहयोग को और बढ़ावा देंगे।*

*हम पिट्सबर्ग में 2009 में ऐसी अपर्याप्त जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को मध्यम अवधि में समाप्त करने और इसे तर्कसंगत बनाने के लिए की गई*

*प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे, जो व्यर्थ उपभोग को प्रोत्साहित करती है तथा सबसे गरीब और असुरक्षित लोगों के लिए लक्षित समर्थन प्रदान करते हुए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।*

*हम पेरिस तापमान लक्ष्य द्वारा निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में जलवायु और ऊर्जा के मध्य विद्यमान घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हैं और शमन प्रयासों के हिस्से के रूप में उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम शून्य या निम्न कार्बन उत्सर्जन और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों की तैनाती और प्रसार पर सहयोग करेंगे, जिसमें स्थायी जैव ऊर्जा भी शामिल है, ताकि कम उत्सर्जन वाली बिजली प्रणालियों की ओर संक्रमण को सक्षम बनाया जा सके। यह उन देशों को भी सक्षम करेगा जो नई बेरोकटोक कोयला बिजली उत्पादन क्षमता में निवेश को चरणबद्ध तरीके से जल्द से जल्द करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हरित, समावेशी और सतत ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी वित्त जुटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम 2021 के अंत तक विदेशों में नए बेरोकटोक कोयला बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त के प्रावधान को समाप्त कर देंगे।*

*जबकि हम संकट से उबर रहे हैं, हम जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए, ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमारी ऊर्जा प्रणालियों के उचित और व्यवस्थित बदलाव की गारंटी देते हैं, जो कि सबसे कमजोर घरों और व्यवसायों सहित अन्य के लिए वहनीयता सुनिश्चित करती हैं।*

*इस प्रयास में, हम वर्षों के रुझानों को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा बाजारों के विकास के प्रति सतर्क रहेंगे और एक गहन संवाद को बढ़ावा देंगे। तदनुसार, जी20 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) के सहयोग से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य ऊर्जा बाजारों की दक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक संवाद की सुविधा प्रदान करेगा। हम खुले, प्रतिस्पर्धी और मुक्त अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देते हुए विभिन्न स्रोतों, आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों से ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने, संवर्धित ऊर्जा सुरक्षा और बाजारों की स्थिरता के लिए मार्ग तलाशने के महत्व पर जोर देते हैं। हम आईसीटी के दुर्भावनापूर्ण उपयोग सहित उसमें किए जाने वाले हमलों के जोखिमों के विरुद्ध ऊर्जा प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, बेहतर ऊर्जा योजना के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा और बाजार स्थिरता बढ़ाने में डिजिटलीकरण की भूमिका को मान्यता प्रदान करते हैं। पारंपरिक ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान जारी रखने के अलावा, हम इस बात के प्रति सचेत हैं कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए ऊर्जा सुरक्षा, एकीकरण पहलुओं की बेहतर समझ की आवश्यकता होती है, जैसे; आंतरायिक ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती हिस्सेदारी ऊर्जा भंडारण की बढ़ती मांग, बदलते जलवायु पैटर्न में प्रणाली का लचीलापन; चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि; ऊर्जा प्रकारों और स्रोतों का जिम्मेदार विकास; महत्वपूर्ण खनिजों और सामग्रियों के साथ-साथ सेमीकंडक्टरों और संबंधित प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीय, जिम्मेदार और संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला।*

आधिकारिक जी-20 घोषणा में जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान आवंटित करने से जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

Prime Minister Modi announced India's commitment to Net Zero by 2070 at Glasgow along with a host of other significant measures to step up induction of renewables in India even by as early as 2030. India's leadership in pushing the global climate agenda was very visible.

*हम जी20 कार्य योजना में ग्रह की रक्षा के लिए समर्पित स्तंभ की शुरूआत का स्वागत करते हैं। हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न व्यापक आर्थिक जोखिमों और विभिन्न संक्रमणों की लागतों और लाभों के साथ-साथ जोखिम निवारण रणनीतियों तथा शमन और अनुकूलन नीतियों के व्यापक आर्थिक और वितरणात्मक प्रभाव के अधिक व्यवस्थित विश्लेषण के महत्व पर सहमत हैं जिसमें अच्छी तरह से स्थापित क्रियाविधियां भी शामिल हैं।*

*सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और पेरिस समझौते के अनुरूप, हरित और अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं और समावेशी समाजों की ओर व्यवस्थित और न्यायपूर्ण संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए सतत वित्त महत्वपूर्ण है। हम जी20 संधारणीय वित्त कार्यकारी समूह (एसएफडब्ल्यूजी) की स्थापना का स्वागत करते हैं और हम जी20 संधारणीय वित्त रोडमैप और विश्लेषण रिपोर्ट का समर्थन करते हैं।"*

आधिकारिक जी-20 घोषणा में जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान आवंटित करने से जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

तथापि, भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि को .50 से. या 20 से. तक सीमित करने का मुद्दा भी बड़े विकासशील देशों पर एक और दबाव बिंदु बन गया है क्योंकि यह उनके संदर्भ में मानवता के लिए उपलब्ध कार्बन बजट को और भी सीमित कर देगा, जिससे उनके द्वारा वृद्धि और विकास की प्राप्ति में प्रतिबंधित लगाने की हर संभावना होगी। यह और भी विषम होगा क्योंकि विकसित विश्व भी 2050 तक विकास के लिए स्वयं को अवसर दे रहा था और वस्तुत: अपने जीएचजी उत्सर्जन में कटौती करने के लिए तत्काल आधार पर आगे नहीं बढ़ रहा था।

नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप में एक बार फिर दुनिया भर के नेताओं ने शिरकत की। इनमें राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी और एक मेजबान शामिल थे। यूरोपीय लोग - विशेष रूप से चीनी और रूसी अनुपस्थित थे। 2050 तक *सभी के द्वारा निवल शून्य* के एजेंडे और कोयले के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के ठोस प्रयास को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया।

इस कॉप में अपनाए गए ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को सक्रिय कर दिया है, हालांकि जलवायु कार्रवाई में शामिल नेताओं को भय है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष की छाया रूस पर इसकी गैस आपूर्ति सहित लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण पूरे यूरोप में भी शमन पर की जाने वाली कार्रवाई में कमी कर सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में 2070 तक निवल शून्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की, साथ ही 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। वैश्विक जलवायु एजेंडे को आगे बढ़ाने में भारत का नेतृत्व बहुत स्पष्ट था।

यह पुन: अप्रत्याशित नहीं था कि यूएस-चीन जलवायु संबंधी सामंजस्य एक बार फिर ग्लासगो में एक संयुक्त घोषणा के साथ दिखाई दिया, जिसने चीन को आने वाले दशकों में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया। इस कथन ने बाद में ग्लासगो जलवायु संधि में अपना अर्थ हासिल कर लिया। ग्लासगो से पहले चीन ने 2060 तक नेट जीरो के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में 2070 तक निवल शून्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता की घोषणा की, साथ ही 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की। वैश्विक जलवायु एजेंडे को आगे बढ़ाने में भारत का नेतृत्व बहुत स्पष्ट था।

भारत 2023 में 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह यूएनएफसीसीसी के 2015 के पेरिस समझौते के तहत वैश्विक स्थिति का जायजा लेने का भी समय होगा और संभवतः संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला कॉप, जलवायु परिवर्तन वार्ताओं की राह पर एक और महत्वपूर्ण आयोजन सिद्ध हो सकता है। वित्तपोषण एक प्रमुख चुनौती होगी। यूक्रेन संघर्ष और ताइवान जलडमरूमध्य से जुड़ी हालिया घटनाओं ने दुनिया को जलवायु परिवर्तन जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत होने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न की है इंडोनेशियाई अध्यक्षता (2022) के तहत पर्यावरण मंत्रियों की बैठक से कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है और चीन जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सहयोग से पीछे हट रहा है। ये सभी उन बाधाओं के परिमाण के ताजा उदाहरण हैं जिनका सामना भारत अपनी जी-20 अध्यक्षता में करेगा, अगर वह चर्चाओं के लिए कोई ठोस मुद्दा प्रदान करने की आशा करता है ।

यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि संधारणीय वित्त की आवश्यकता बहुत बड़ी है और इस तरह के वित्त पोषण के लिए संभवर: बहुपक्षीय रूप से सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। इस तरह के कोष या तंत्र को अन्य स्रोतों से विकासशील देशों को कम लागत वाली निधियों में वृद्धि करनेमें भी मदद करनी चाहिए। विकास की सीढ़ी में नीचे रहने वाले देशों में साम्या और व्यवहार्य संक्रमण के साथ विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने के लिए भी यह अनिवार्य है।

इसके अलावा, विकासशील देशों को नई हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और अपने जलवायु कार्यों को बढ़ाने के लिए मूलभूत वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में मुख्य रूप से उत्पादन की परिचालन दक्षता के प्रभाव पर उनकी अप्रमाणित स्थिति के कारण हरित प्रौद्योगिकियों की पूंजी लागत अधिक होती है जिसके फलस्वरूप प्राय: इनमें निवेश करना निषेधात्मक हो जाता है। दूसरे, विकासशील देशों में नवीकरणीय क्षेत्र से परे

भरोसेमंद परियोजनाओं के विकास के लिए भी क्षमताओं का अभाव होता है।

लेकिन, शायद, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विकसित देशों में पूंजी की लागत काफी अधिक है, जिससे हरित निवेश अधिक महंगा हो रहा है। किसी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर जलवायु भेद्यता के प्रभाव के कारण इसके और भी अधिक होने का अनुमान लगाया गया जिसका है जिससे उनके वित्तीय बोझ और आर्थिक चुनौतियों में आगे और कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा, वे प्रतिरक्षा की उच्च लागत का सामना करते हैं। यह विशेष रूप से मुद्रा जोखिम को कम करने पर एक और प्राथमिकता की आवश्यकता को जोखिम-मुक्त करता है।

इसके अतिरिक्त, केवल शमन उपायों के माध्यम से हरित वित्तपोषण को देखना पर्याप्त नहीं होगा और अनुकूलन पर भी समान ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल, चरम मौसम की घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर भौतिक संपत्ति का नुकसान होता है और कृषि उत्पादकता में कमी आती है, इसलिए उनका प्रबंधन बीमा कंपनियों और शायद सरकारों की क्षमताओं से परे होने की संभावना है।

तीन विकासशील देशों द्वारा की जाने वाली जी-20 की निरंतर अध्यक्षता द्वारा विकासशील देशों और कमजोर समुदायों की आवश्यकताओं के पक्ष में वैश्विक जलवायु कार्रवाई की संरचना करने का यह एक उचित अवसर है। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील में होने वाले अगले तीन जी-20 शिखरसम्मेलनों के साथ, यह जलवायु वित्त की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा सत्ता पर आधिपत्य बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने वाले समूह के स्थान पर जी-20 को वैश्विक समर्थन तंत्र बनाने के लिए करने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में जलवायु वित्त के लिए 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का आह्वान किया था। इसे कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है और भारत में आयोजित होने वाला जी-20 शिखरसम्मेलन इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है।

G20

# योगदानकर्ताओं का परिचय

## डा. आलोक शील

*पूर्व आरबीआई चेयर प्रोफेस ऑफ मैक्रोइकॉनॉमिक्स, आईसीआरआईईआर, नई दिल्ली*

आलोक शील चौंतीस वर्षों (1982-2016) तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सदस्य रहे और उनका अंतिम पद भारत सरकार के सचिव के समकक्ष था। इसके बाद, वे जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरआईईआर) में मैक्रोइकॉनॉमिक्स में आरबीआई चेयर प्रोफेसर रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य (केरल) दोनों सरकारों के अधीन अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें ट्रेजरी विभागों में उनके अनेक कार्यकाल शामिल हैं जहां वे बजट निर्माण और प्रबंधन, विश्व बैंक, आईएमएफ और यूएनडीपी जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के साथ निरंतर संपर्क के लिए उत्तरदायी थे। उनके पास वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में काउंसलर इकोनॉमिक के रूप में राजनयिक अनुभव है, और बाद में उन्होंने भूटान में सार्क विकास कोष की अध्यक्षता की। उन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव के रूप में व्यापक आर्थिक नीति में वरिष्ठ स्तर पर कार्य करने तथा वित्त और शेरपा दोनों चैनलों में जी-20 में एक बहुपक्षीय वार्ताकार के रूप में कार्य करने का अनेक वर्षों का अनुभव है। वह वैश्विक वित्तीय संकट के चरम पर पहले सात जी20 शिखरसम्मेलनों के लिए भारतीय पीएम प्रतिनिधिमंडल एक सदस्य थे। उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था, जी-20, आर्थिक प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए उन्हें एक विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से अपनी स्कूली शिक्षा, सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली से बीए इतिहास (ऑनर्स), ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय, यू.के. से मैक्रो-इकॉनॉमिक्स नीति में एम.एससी. (विशिष्टता के साथ) और जवाहरलाल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत से एम.ए. और पी.एचडी.

की शिक्षा पूर्ण की है। उनकी अन्य रुचियों में शामिल हैं - दौड़ना, अंग्रेजी कविता, इतिहास, लेखन, वर्ग पहेली और ब्रिटिश भारत के डाक-टिकटों का संग्रहण। उन्होंने पुस्तकों और पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित किए हैं, जिनमें एक पुस्तक 'रीथिंकिंग मैक्रो-इकोनॉमिक्स 101: ए रिंगसाइड व्यू ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फ्रॉम एशिया इन रीयल टाइम' (अकादमिक फाउंडेशन 2015) http: // academicfoundation.org / index. php? oute=product/product&product_id=570 शामिल है। वह इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू), द इंडिया फोरम और ईस्ट एशिया फोरम में 20 से अधिक वर्षों के लिए आर्थिक मुद्दों पर एक नियमित टिप्पणीकार रहे हैं और उन्होंने द इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल टाइम्स (लंदन) में 200 से अधिक विचारों का योगदान दिया है। उनके प्रकाशनों को उनके होमपेज http://www.aloksheel.com/pap_pub.htm पर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

# मंजीव सिंह पुरी

*पूर्व राजदूत और जलवायु परिवर्तन वार्ताओं मे भारत के लिए प्रमुख वार्ताकार*

मंजीव सिंह पुरी एक पूर्व भारतीय राजदूत हैं। वह 1982 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और उन्होंने यूरोपीय संघ, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग (2013-2017) और नेपाल (2017-2019) में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2009-2012 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है, जिस अवधि के दौरान भारत सुरक्षा परिषद में शामिल था। इससे पूर्व, 2005-2009 तक, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों का निपटान करने वाले विदेश मंत्रालय के एक प्रभाग का नेतृत्व किया। इसके अलावा, उन्होंने दो बार जर्मनी (बॉन और बर्लिन में), केप टाउन, मस्कट, बैंकॉक और काराकास में सेवा की है। वह 31 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए।

वह दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में और उससे पहले मॉन्ट्रियल, बाली, बॉन और पॉज़्नान में यूएनएफसीसीसी के दलों के सम्मेलन सहित विभिन्न जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत के प्रतिनिधिमंडल के एक प्रमुख सदस्य थे। इसके अलावा, वह 2005 से जी8-जी5 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी में शामिल थे और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच के लिए विषय-विशेषज्ञथे। आईएफएस में रहते हुए भी, वह भारत के प्रमुख ऊर्जा और पर्यावरण संस्थान, टेरी (ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली) के सलाहकार बोर्ड में थे और सेवानिवृत्ति के बाद टेरी में एक विशिष्ट फेलो हैं। अन्य क्रियाकलापों में, वह जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ट्रैक-II भारत-यूरोपीय संघ संवाद की सह-अध्यक्षता करते हैं।

पर्यावरण के अलावा, राजदूत पुरी बहुपक्षवाद, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और इसकी विभिन्न एजेंसियों से संबंधित मामलों में अत्यधिक अनुभवी हैं। उन्हें आईएमएफ/विश्व बैंक में काम करने का अगाध अनुभव और ऊर्जा सहित वैश्विक आर्थिक मुद्दों से संबंधित मुद्दों की भी गहन जानकारी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुधार, मानवाधिकारों और प्रवासन के मुद्दों का समाधन करने वाली अनेक वैश्विक बैठकों में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया है।

यूरोप में अनेक बार सेवा करने, जिसमें यूरोपीय संघ में राजदूत के रूप में उनका सेवाकाल भी शामिल है, वह आर्थिक मुद्दों सहित यूरोपीय संघ और भारत-यूरोपीय संघ के मामलों से गहनता से परिचित हैं। इसके अलावा, नेपाल में राजदूत के रूप में कार्य करने के बाद, उनके पेशेवर ज्ञान और क्षमता में न केवल भारत-नेपाल मुद्दे, बल्कि दक्षिण एशिया और भारत के पड़ोस में हित के क्षेत्रीय मामले भी शामिल हैं।

राजदूत पुरी के पास मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री है और उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) किया है। वह वर्तमान में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) में प्रतिष्ठित फेलो, अनंत केंद्र के विशिष्ट विजिटिंग फेलो और गेटवे हाउस में सहायक विशिष्ट फेलो हैं।

# दामोदर पुजारी

*फेलो, जलवायु परिवर्तन*

*गेटवे हाउस, भारतीय वैश्विक संबंध परिषद*

दामोदर के पास पर्यावरणीय स्थिरता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और चक्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करने का एक दशक से अधिक का अनुभव है। उनकी पेशेवर विशेषज्ञता प्राकृतिक संसाधनों के समान वितरण, जलवायु न्याय और जलवायु-तनाव वाले क्षेत्रों से जुड़े समुदायों के लिए आजीविका विकास से संबंधित है। दामोदर ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31), भारत सरकार को सहयोग प्रदान किया है तथा महाराष्ट्र सरकार के लोकपाल कार्यालय के सशक्तिकरण संबंधी समिति में अपना योगदान दिया है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के कमजोर समूहों के संकटपूर्ण प्रवास को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित संसद सदस्यों के एक समूह के लिए एक भावी योजना तैयार की है। उनकी पिछली संबद्धताओं में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट में विभिन्न पदों पर कार्य किया जाना शामिल हैं। अपने पेशेवर कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विश्व बैंक समूह, स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान, जल जीवन मिशन और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझेदारी का नेतृत्व किया। उनके पास पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री है और वर्तमान में वे अपनी पीएच.डी. के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे में कार्य कर रहे हैं जिसमें एक सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण के माध्यम से नदी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वे ट्वीट @D_Pujari पर में उपलब्ध हैं।

**भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए)** की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एचएन कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के निपेक्षागार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीतिगत अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करती है और अनेक प्रकार के प्रकाशन निकालती है। इसके पास एक समृद्ध पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है और यह इंडिया क्वार्टरली जर्नल प्रकाशित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए के पास अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन हैं। परिषद के पास भारत में अग्रणी शोध संस्थानों, थिंक टैकों और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी है।

**भारतीय वैश्विक परिषद**

सप्रू हाउस, नई दिल्ली